मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2020-2021

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश 2023 का रोडमैप लॉन्च किया गया

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में स्थापित नवीन औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2020-2021

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020-21

अनुक्रमणिका

क्रमांक		अध्याय	पृष्ठ क्र.
01		विभागीय मंत्री तथा सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों की जानकारी	**1**
02	भाग-एक	विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय/निगमों की सामान्य जानकारी, विशेषताएं, महत्वपूर्ण सांख्यिकी	**3 - 30**
03	भाग-दो	बजट - योजनावार प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय	**33 – 39**
04	भाग-तीन	राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	**40– 43**
05	भाग-चार	सामान्य प्रशासनिक विषय	**44 – 48**
06	भाग-पांच	अभिनव योजना	**49 – 50**
07	भाग-छः	विभागीय प्रकाशन	**51**
08	भाग-सात	सारांश	**52 – 54**
09	भाग-आठ	महिलाओं के लिए किए गए कार्य	**55**

विभाग का नाम

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्री	
माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान (मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश)	दिनांक 23.03.2020 से 12.07.2020 तक
माननीय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगाँव	दिनांक 12.07.2020 से निरंतर
प्रमुख सचिव	
डॉ. राजेश राजोरा	दिनांक 02.03.2019 से 11.05.2020 तक
श्री संजय कुमार शुक्ल	दिनांक 11.05.2020 से निरंतर
सचिव	
श्री विवेक पोरवाल	दिनांक 18.04.2018 से 10.08.2020 तक
श्री जॉन किंग्सली ए.आर.	दिनांक 11.08.2020 से निरंतर
अपर सचिव	
श्री विजय कुमार बरोनिया	दिनांक 03.02.2020 से 31.07.2020 तक दिनांक 05.11.2020 से निरंतर
उप सचिव	
श्री बी. विजय दत्ता	दिनांक से 29.06.202 से 13.10.2020 तक दिनांक 04.12.2020 से निरंतर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	
श्री तरूण कुमार कटारे	दिनांक 11.07.2016 से निरंतर
विभागाध्यक्ष	
रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं	
श्री आलोक नागर	दिनांक 01.06.2016 से निरंतर
प्रभारी संचालक, वाष्पयंत्र	
श्री जी.पी. पटेल	दिनांक 01.07.2016 से निरंतर

भाग – 1

विभागीय संरचना

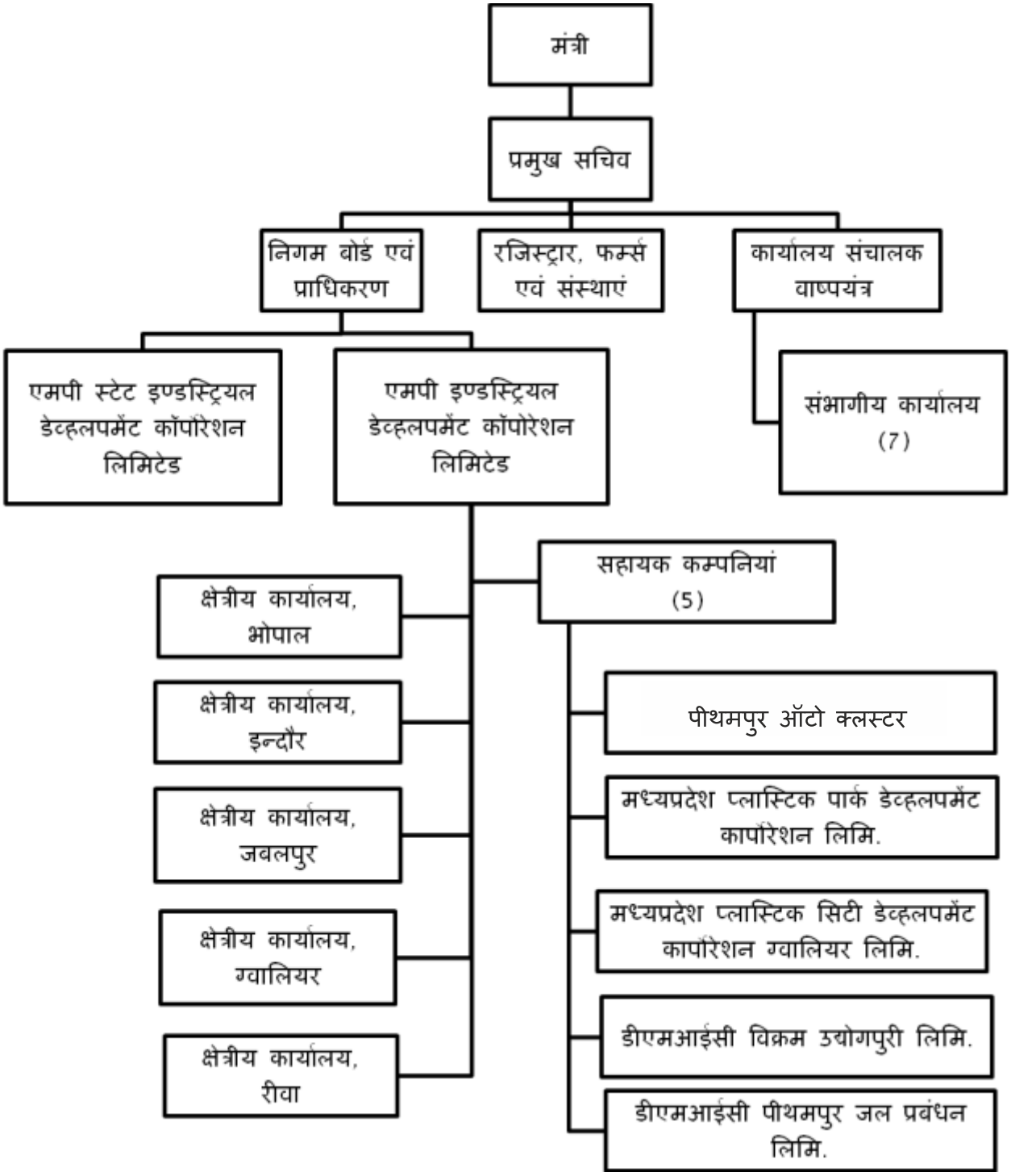

सामान्य जानकारी

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

उद्देश्य- औद्योगीकरण तथा निजी पूंजी निवेश के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसरों का सृजन

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रणनीति

- ब्रांड एमपी स्थापित करना
- औद्योगिक अधोसंरचना का विकास
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- उद्योग संवर्धन नीति-उद्योगों को वित्तीय सहायता
- निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति
- शिकायत निवारण व्यवस्था

वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत दो विभागाध्यक्ष है :-

(1) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

(2) संचालक, वाष्पयंत्र, मध्यप्रदेश

वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड निम्नानुसार है:-

सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत:-

1. एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
2. मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

एम.पी.आई.डी.सी. से संबद्ध निम्न सहायक कंपनियां :-

- पीथमपुर ऑटो क्लस्टर
- मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड
- डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड

नीतिगत प्रावधान

प्रदेश में औद्योगीकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों और नीतियों के फलस्वरूप देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों एवं निवेशकों द्वारा प्रदेश में निवेश की रूचि प्रदर्शित की गई है। निवेश के वातावरण को निरंतर बनाये रखने की दृष्टि से उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) प्रभावशील है। नीति के प्रमुख नीतिगत बिंदु निम्नानुसार है -

- सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाकर सभी निवेशकों के लिये एक उपयुक्त परिवेश बनाना ताकि वे आसानी से अपना व्यापार कर सकें।
- वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों से निवेश को आकर्षित करना।
- उद्योगों के लिये भूमि की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए "भूमि बैंक"(Land Bank) की स्थापना।
- विकसित औद्योगिक भूमि प्रतिस्पर्धी मूल्य पर निवेशकों को उपलब्ध कराना।
- वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संलग्न उद्योगों एवं सेवाओं तथा वृहद कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, राईपनिंग चेम्बर, इंडिविज्युअल क्विक फ्रीजिंग आदि को प्रोत्साहित करने तथा अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य विशिष्ट वित्तीय सहायता उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुक्रम में सम्मिलित की गई।
- टेक्सटाईल सेक्टर में "मूल्य संवर्धित" (value added) श्रृंखला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिधान क्षेत्र की वृहद श्रेणी की निर्माण इकाईयों को विशिष्ट वित्तीय सहायता का प्रावधान दिनांक 09.04.2018 से सम्मिलित किया गया।
- जीएसटी प्रणाली लागू होने से एवं भारत के मध्य स्थल में अवस्थित होने के दृष्टिगत उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 के अनुक्रम में लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब एवं पार्क को वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधायें दिनांक 22.06.2018 से सम्मिलित की गई।
- जीएसटी प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप नीति अंतर्गत देय वेट/सीएसटी/प्रवेश कर छूट सुविधा को विलोपित कर वृहद औद्योगिक परियोजनाओं को टेक्स प्रणाली से पृथक कर निवेश प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.04.2018 से 31.3.2022 तक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर लागू किया गया।
- वृहद श्रेणी की बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरांत पुर्नसंचालित करने पर विशेष पैकेज का प्रावधान दिनांक 28.8.2018 से सम्मिलित किया गया।
- निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर विशेष वित्तीय सहायता दिये जाने के प्रावधान दिनांक 28.8.2018 से सम्मिलित किये गये।
- उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का

70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना दिनांक 19.12.2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को अनिवार्य किया गया।

- औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयों को उनके परिसरों/रूफटॉप पर सौर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांटस की स्थापना द्वारा हरित एवं सस्ती ऊर्जा से लाभाविन्त किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
- वृहद श्रेणी की इकाईयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान पेटेंट / आईपीआर पंजीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणीकरण तथा जांच प्रयोगशाला में व्यय को निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत सम्मिलित करने संबंधी प्रावधान सम्मिलित किये गये। उक्त अनुक्रम में अवशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणों तथा जल संरक्षण उपायों की स्थापना पर किये गये व्यय की अधिकतम प्रतिपूर्ति की सीमा रू. 1 करोड तक की गई। परिधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये अधिकतम सहायता में वृद्धि की गई। फार्मास्यूटिकल, विनिर्माण इकाईयों को नीति अंतर्गत सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उत्पादन दिनांक से दो वर्ष तक स्लेक पीरियड की सुविधा प्रदान की गई।
- कोविड-19 संकट के कारण शासन आदेश दिनांक 12.06.2020 द्वारा उद्योगों को आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत उद्योग संवर्धन नीति में प्रावधानित सुविधाएं प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में रियायत, निवेश प्रोत्साहन सहायता उत्पादन क्षमता में सशर्त छूट, औद्योगिक क्षेत्र में भू-आवंटितियों एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु निर्धारित समयावधि में रियायत संबंधी सुविधायें स्वीकृत की गई हैं।
- शासन आदेश दिनांक 12.06.2020 द्वारा उद्योग संवर्धन नीति (यथा संशोधित 2020) की कंडिका क्र. 10.2 अंतर्गत परिधान क्षेत्र में रू. 25 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की विनिर्माण इकाईयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई मान्य करने एवं निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना अंतर्गत वृहद औद्योगिक परियोजनाओं में विस्तार अंतर्गत न्यूनतम निवेश एवं वृहद श्रेणी के खाद्य प्रसंस्करण परिधान निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी, हर्बल लघु उपज और आईटी क्षेत्र की मेगा स्तर की औद्योगिक इकईयों को विस्तार अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ लेने हेतु संयंत्र एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश राशि में संशोधन संबंधी निर्णय लिया गया है।

उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशेधित 2020) अन्तर्गत प्रमुख वित्तीय सहायता

- **निवेश प्रोत्साहन सहायता:** टैक्स व्यवस्था को पृथक करते हुए सहायता।
- प्लांट एवं मशीनरी एवं भवन में किये गये निवेश पर 40 से 10 प्रतिशत की दर से निवेश प्रोत्साहन सहायता।

- खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को सहायता 1.5 गुना की दर।
- प्राथमिकता विकास खंडों में स्थापित होने वाली इकाईयों को सहायता 1.2 गुना की दर से।
- रोजगार सृजन करने वाली इकाईयों को सहायता 1 से 1.5 के बीच अनुपातिक आधार पर।
- निर्यातक इकाईयों को सहायता 1 से 1.2 के बीच अनुपातिक आधार पर।
- ब्याज अनुदान - टेक्सटाईल परियोजनाओं को टफ्स (TUFS) अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये टर्मलोन पर ब्याज अनुदान 5 से 7 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु।
- अधोरसंचना विकास सहायता-औद्योगिक क्षेत्र से बाहर इकाई स्थापना पर रोड, पानी एवं विद्युत संरचना विकसित करने पर व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1 करोड़ प्रत्येक मद में ।
- विद्युत टेरिफ में रू.1 प्रति यूनिट की छूट (विद्युत नियामक आयोग के रिटेल विघुत टेरिफ ऑर्डर अनुरूप)

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 लागू किये गये हैं, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं -

I. विकसित एवं विकसित की जाने वाली औद्योगिक प्रयोजन की भूमि में 01 हैक्टेयर तक 75 प्रतिशत एवं 01 हैक्टेयर से 20 हैक्टेयर तक 50 प्रतिशत भूमि के मूल्य में छूट दिये जाने का प्रावधान तथा इकाई को औद्योगिक क्षेत्र में पट्टाग्रहिता वृहद इकाई को 05 प्रतिशत भूमि अधिकतम 05 एकड़ भूमि पर श्रमिक/तकनीकी स्टॉफ के निवास हेतु, भवन निर्मित करने का प्रावधान रखा गया है।

II. उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाता इकाईयां जैसे लॉण्ड्री, स्टीम, नेच्युरल गैस, विद्युत प्रदाता इकाईयों को भूमि आवंटन, वृक्षारोपण हेतु अनुमति।

III. एक साथ 10 वर्ष का लीज रेंट जमा करने हेतु आगामी 20 वर्षों लीज रेंट में मुक्ति का प्रावधान है।

IV. भूमि का अधिकाधिक सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के लिये विकास के मानदण्ड निर्धारित किये गये है, जिसमें निर्मित क्षेत्र अधिकतम 75 प्रतिशत एवं फर्शी क्षेत्रानुसार (एफएआर) अधिकतम 2.00 किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय/निगमों की सामान्य जानकारी

➢ कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

दायित्व - इस कार्यालय को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य सौंपा गया है:-

1 भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

2 मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973

(1) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :-

1. व्यापारिक भागीदारी फर्मो का पंजीयन करना।
2. फर्मों की रचना में परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनो को रिकार्ड में दर्ज करना।
3. भागीदारों एव अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखो की प्रतियां जारी करना।

इस अधिनियम के तहत विगत 05 वर्षों मे रजिस्ट्रीकृत की गई फर्मों की संख्या वर्षवार निम्नानुसार है:-

वर्ष	रजिस्ट्रीकृत फर्म्स की संख्या
2016-2017	1632
2017-2018	1982
2018-2019	1987
2019-2020	1919
2020-2021	1420 (दि.31/12/2020 की स्थिति में)

(2)मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973

इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :-

1. शैक्षणिक, सांस्कृतिक, परोपकारी, जनकल्याणकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं का पंजीयन करना।
2. अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन प्राप्त जानकारियों को निराकृत करना ।
3. संस्थाओं एवं अन्य द्वारा चाहे जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्राप्त प्रलेखों की प्रतियां जारी करना ।
4. रजिस्ट्रीकृत संस्थाओ की जांच, विशेष आडिट, निरीक्षण एवं शासन द्वारा प्रशासक नियुक्ति आदि के कार्य किए जाते हैं।

इस अधिनियम के तहत विगत 05 वर्षों मे पंजीयत की गई संस्थाओं की संख्या वर्षवार निम्नानुसार है:-

वर्ष	रजिस्ट्रीकृत फर्म्स की संख्या
2016-2017	5267
2017-2018	6679
2018-2019	6158
2019-2020	6443
2020-2021	2699 (दि.31/12/2020 की स्थिति में)

(3) एमपी आनलाईन के माध्यम से पंजीयन

मुख्यालय के अंतर्गत सभी सात संभागीय कार्यालयों में जन सामान्य की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये एमपी ऑनलाईन के माध्यम से संस्थाओं एवं फर्मो के ऑनलाईन पंजीयन का कार्य किया जाकर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र भेजे जा रहे हैं।

(4) कार्यालयीन मूल रेकार्ड का डिजिटलाईजेशन

कार्यालय में पंजीकृत संस्थाओं के मूल रेकार्ड के डिजिटलाईजेशन का कार्य, कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा जनभागीदारी से नवम्बर 2017 से प्रारम्भ किया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 7 संभागीय कार्यालयों की लगभग 1 लाख 40 हजार संस्थाओं के पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा ज्ञापन-नियमावाली के स्कैनिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। स्केनिंग के पश्चात फाईलों को अपलोड कर डेटा एन्ट्री का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका हैं। साथ ही जिन संस्थाओं के रिकार्ड की डेटा एन्ट्री हो चुकी हैं, के वेरीफिकेशन का कार्य भी कार्यालयीन कर्मचारियों द्वारा 80 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका हैं । शेष रेकार्ड की डेटा एन्ट्री एवं वेरीफिकेशन का कार्य प्रगति पर हैं।

(5) लोक सेवा गारंटी

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की कुल 10 सेवाएं सम्मिलित की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	सेवा क्र.	विवरण
1.	36.1	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 के प्रावधानों के अनुसार समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयं सेवी संस्थाओं के पंजीयन संबंधी सेवा (धारा 7)
2.	36.2	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत नियमावली में संशोधन संबंधी सेवा (धारा 10 एवं 13)
3.	36.3	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी फर्म के पंजीयन संबंधी सेवा (धारा 59)
4.	36.4	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म नाम में और कारबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख (धारा 60)
5.	36.5	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन शाखाओं को बंद करने और खोलने का टिप्पणित किया जाना (धारा 61)
6.	36.6	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणित किया जाना (धारा 62)
7.	36.7	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेख (धारा 63)
8.	36.8	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भूलों का परिशोधन (धारा 64)
9.	36.9	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर और फाइल किये गये दस्तावेजों का निरीक्षण (धारा 66)
10.	36.10	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत भागीदारी फर्म द्वारा फाईल किये गये दस्तावेजों की प्रतियां दिये जाना (धारा 67)

(6) महत्वपूर्ण सांख्यिकी

इस कार्यालय की आय वृद्धि हेतु शासन द्वारा अधिनियमों मे पारदर्शिता लाने के लिये आवश्यक संशोधन किये गये तदुपरांत इस कार्यालय की आय में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। विगत 05 वर्षों का विवरण निम्नानुसार हैः-

वर्ष	लक्ष्य	आय (लाख में)
2016-2017	650.00 लाख	1095.50 लाख
2017-2018	800.00 लाख	1185.03 लाख
2018-2019	900.00 लाख	1133.75 लाख
2019-2020	1000.00 लाख	1353.72 लाख
2020-2021	1050.00 लाख	795.12 लाख (दि.31/12/2020 की स्थिति में)

➢ संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश

- **दायित्व :-** मध्यप्रदेश राज्य में बॉयलर अधिनियम 1923, भारतीय बॉयलर विनियम 1950, मध्यप्रदेश बॉयलर नियम 1969 व मध्यप्रदेश मितोपयोजक नियम 1959 का पालन सुनिश्चित करना एवं बॉयलर परिचारक नियम 2011 एवं बॉयलर चालन इंजीनियर नियम 2011 के अन्तर्गत परीक्षाओं का आयोजन कर योग्यताधारी उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र प्रदान करना।

- **सामान्य जानकारी**

1. राज्य में स्थित उद्योगों में स्थापित बॉयलरों का निरीक्षण कर वैधता प्रमाण-पत्र जारी कर राज्य के उद्योगों में बॉयलर संबंधी दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना ताकि उद्योगों में होने वाली जन धन की हानि को रोका जा सके एवं दक्षतापूर्ण बॉयलरों का उपयोग।
2. राज्य में स्थापित होने वाले नवीन बॉयलरों का पंजीयन करना।
3. राज्य में होने वाली बॉयलर संबंधी दुर्घटनाओं की जांच करना।
4. राज्य में निर्माण होने वाले बॉयलरों का तकनीकी परीक्षण एवं निर्माण के दौरान निरीक्षण।
5. अन्य राज्यों से राज्य में स्थानांतरित होने वाले व राज्य से अन्य राज्यों में स्थानांतरित हुए बॉयलरों का रेकार्ड रखना।
6. बॉयलर एवं स्टीम लाईन के विभिन्न प्रेशर पार्टस की डिजाईन ड्राइंग का परीक्षण एवं निरीक्षण।
7. स्टीम पाईप लाईन के मानचित्र का अनुमोदन एवं निरीक्षण।

❖ मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत संचालक वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश की निम्न सेवाऐं (ऑनलाइन माध्यम से) सम्मिलित की गयी है –

क्र	सेवा क्र.	विवरण
1	38.1	बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 7 के अन्तर्गत बायलर का पंजीयन
2	38.2	बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 8 के अन्तर्गत बायलर का निरीक्षण
3	38.3	भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत बायलर निर्माणकर्ता इकाईयों का अनुमोदन
4	38.4	भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 392(5) के अंतर्गत बायलर इरेक्शनकर्ता इकाईयों का अनुमोदन

❖ **महत्वपूर्ण सांख्यिकी :** प्रतिवेदित अवधि में बायलर संचालनालय द्वारा किये गये बायलर निरीक्षण का समस्त ब्यौरा निम्नानुसार है -

(दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक)

1	बॉयलर्स जिनका सम्पूर्ण निरीक्षण किया गया	516
2	बायलर्स जिनका जलदाब भार निरीक्षण किया गया	523
3	बॉयलर्स जिनका वाष्पभार निरीक्षण किया गया	11
4	बॉयलर्स जिनके प्रमाण-पत्र जारी किये गये	455
5	बॉयलर्स जिनको अंतिम प्रमाण-पत्र दिये गये	80
6	इकॉनामाइजर्स जिनका सम्पूर्ण निरीक्षण किया गया	08
7	इकॉनामाइजर्स जिनके प्रमाण-पत्र जारी किये गये	09
8	इकॉनामाइजर्स जिनके अंतःकालीन प्रमाण-पत्र जारी किये गये	05
9	बॉयलर्स जिनको कम अवधि के प्रमाण-पत्र दिये गये	-
10	बायलर्स जिनका वाष्पभार कम किया गया	02
11	बायलर्स जिनके लिये दुरूस्ति के आदेश दिये गये	-
12	बॉयलर्स जो मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों को स्थानांतरित हुए	-
13	बॉयलर्स जो मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों से स्थानांतरित हुए	04
14	दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट जिसकी जांच की गई	-
15	नवीन बॉयलर्स पंजीकरण	39
16	नवीन इकॉनामाइजर्स पंजीकरण	02
17	जारी वेल्डर्स प्रमाण-पत्र	-
18	वेल्डर्स प्रमाण-पत्र पृष्ठांकन संख्या	36

➢ मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (MPSIDC) भोपाल

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल (एमपीएसआईडीसी), मध्यप्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत शासन का एक उपक्रम है। निगम का मुख्यालय 'एव्हीएन टावर', प्लॉट नंबर 192, जोन-1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है। निगम का गठन 1965 में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था जिसमें अंशपूंजी में शत प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वैष्ठित की गई है। निगम का ध्येय प्रदेश में स्थापित होने वाले वृहद तथा मध्यम श्रेणी की इकाईयों को विभिन्न प्रकार की सहायता कर प्रदेश के औद्योगिकरण की गति को तेज करना है ताकि मध्यप्रदेश, देश के औद्योगिक परिदृश्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सके।

➢ मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (MPIDC) भोपाल

एम.पी. ट्रायफेक लिमिटेड का गठन वर्ष 2004 में तत्कालीन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग (वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग) के अंतर्गत किया गया। रजिस्ट्रार

ऑफ कम्पनीज, ग्वालियर द्वारा दिनांक 26.11.2018 को एम.पी. ट्रायफेक का नाम परिवर्तन कर एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. किया गया है। एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में कार्यरत है।

वर्तमान में एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल द्वारा निम्न कार्य/दायित्व संपादित/निर्वहन किये जा रहे हैं –

- राज्य में औद्योगिक विकास, पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन हेतु समुचित सहायता।
- समस्त वित्तीय सुविधाओं की स्वीकृति तथा वितरण की नोडल एजेंसी।
- नीति निर्धारण उसका क्रियान्वयन एवं परियोजना स्वीकृति के लिये एकल खिड़की प्रणाली के सचिवालय के रूप में कार्य करना।
- उद्यमियों व्दारा किए जा रहे पूंजी निवेश के दौरान शासकीय विभागों/संस्थाओं तथा उद्यमियों के मध्य समन्वय।
- राज्य में उपयुक्त औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण बनाए रखने के लिये उद्यमी/उद्योग संघों से चर्चा उपरांत नीति एवं नियमों पर शासन को परामर्श देना ।
- राज्य में पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत, सेमीनार, प्रदर्शनी एवं संगोष्ठियों के माध्यम से संभावनाओं एवं जानकारियों का प्रचार-प्रसार करना।
- विश्व एवं भारत के अन्य राज्यों में हो रहे विकास को दृष्टिगत रखते हुए नीतिगत सुधारों हेतु पहल करना।
- प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना विकास, नियोजन एवं प्रबंधन का दायित्व।
- डी.एम.आई.सी. परियोजना क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी का दायित्व।
- निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति हेतु नोडल एजेंसी।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन, निवेश प्रस्तावों की प्राप्ति एवं निवेश प्रोत्साहन एवं अनुसरण तथा उनके क्रियान्वयन के मॉनिटरिंग हेतु नोडल एजेंसी।
- निर्यात गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु नोडल एजेंसी।
- व्यापार संवर्धन सलाहकार मण्डल के सचिवालय का दायित्व निर्वहन।
- सी.एस.आर. फेसिलिटेशन हेतु राज्य नोडल एजेंसी।
- लोकहित में उद्योगों के फेसिलिटेशन हेतु राज्य शासन एवं निगम के संचालक मण्डल द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन करना।
- वृहद अधोसंरचना तथा विनिर्माण परियोजनाओं की समस्या के समाधान हेतु गठित भारत सरकार, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप हेतु राज्य नोडल एजेंसी।
- **आत्म निर्भर मध्यप्रदेश रोडमेप** - मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न बनाना महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्य में निवेश को आकर्षित करने हेतु कई ठोस कदम उठाये गये हैं। आत्म निर्भर मध्यप्रदेश में विभाग से संबंधित विषयों के

क्रियान्वयन हेतु रोडमेप तैयार किया गया है। 30 दिवस में व्यवसाय शुरू करने के लिये विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर ऑनलाईन व्यवस्था, एक जिला एक उत्पाद का चयन, निवेश कॉरीडोर, राज्य में व्यापार मेलों और निर्यात संबंधित क्षेत्रों के लिये कार्ययोजना, चंबल प्रोग्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे को प्रमुख औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित करना आदि विषय सम्मिलित किये गये है।

❖ मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत एमपीआईडीसी की निम्न सेवाऐं (ऑनलाइन माध्यम से) सम्मिलित की गयी है –

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	योजनाएं/सेवाएं
1	20.8	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी /एमपीआईडीसी के आधिपत्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु- आशय पत्र जारी कराना
2	20.9	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी /एमपीआईडीसी के आधिपत्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु- आवंटन आदेश जारी करना
3	20.10	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी/एमपीआईडीसी के आधिपत्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु- पट्टा अभिलेख का निष्पादन
4	20.11	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी/ एमपीआईडीसी) के आधिपत्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु- आधिपत्य प्रदान करना
5	20.12	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी / एमपीआईडीसी) के औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति
6	(ब)-20.14	प्रयोज्य वित्तीय सुविधा / सहायता हेतु स्वीकृति एवं वितरण, वित्तीय सुविधा/सहायता की पात्रता का निर्धारण
7	20.15	वेट/जीएसटी अंर्तगत वितरण (दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी प्रणाली अंर्तगत प्रतिपूर्ति)
8	20.16	वृहद श्रेणी की टेक्सटाइल इकाईयों हेतु ब्याज अनुदान
9	20.17	अधोसंरचना विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (बिजली, पानी एवं सडक निर्माण हेतु)
10	20.18	औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु सहायता
11	20.19	वृहद श्रेणी की इकाईयों हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (ईटीपी/एसटीपी आदि) की स्थापना पर पूंजी अनुदान (हरित औद्योगिकरण)
12	37.1	औद्योगिक इकाईयों के लिये जल का आवंटन

➢ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित गतिविधियां एवं कार्ययोजना

1. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

- उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन हेतु विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से अनुमतियाँ एवं स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र मे पूंजी निवेश आकर्षित करने के संदर्भ में Ease of Doing Business का विषय अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गया है। इस संबंध में राज्य शासन की पहल पर विभिन्न विभागो के स्तर पर प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में कार्यवाही की जा रही है और आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान के अंतरराज्यीय मूल्यांकन में मध्यप्रदेश ने चौथी रैंक प्राप्त की है। वर्ष 2020 की रैंकिंग संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। राज्य में सुधारो के क्रियान्वयन प्रतिशत में भी उल्लेखनीय वृध्दि हुई है। यह 2019 में 100 प्रतिशत हो गई है।
- 30 दिवस में उद्योग प्रारंभ करने की प्रक्रिया अंतर्गत निवेश संबंधी विभिन्न आवश्यक सेवाओं की प्रदाय समयसीमा में कमी/युक्तियुक्त कर उन्हें 30 दिवस की सीमा में प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्हे मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम (PSG Act) की परिधि में भी लाए जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **कंप्यूटाईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था** - भारत सरकार द्वारा व्यापार संचालन सरलीकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय व्यापार सुधार कार्यक्रम 2020 के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए है। इस कार्य योजना अंर्तगत औधोगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों हेतु आवश्यक निरीक्षणों के लिए एक कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था निर्मित किए जाने हेतु, कंप्यूटाईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था एमपीआईडीसी द्वारा विकसित एवं परिनियोजित की गयी है।
- **INVEST (Intergrated New Venture Establishment) पोर्टल –** निवेशकों की औद्योगिक परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त होते ही उसके क्रियान्वयन, पूर्ण होने तथा इकाई को स्वीकृति व समस्त सुविधाओं के वितरण सहित उसके पूरे जीवन चक्र की मानिटरिंग के लिए 'INVEST' (इन्वेस्ट) नाम से पोर्टल **(invest.mp.gov.in)** तैयार किया गया है। सशक्त सिंगल विण्डो प्रणाली के तहत इस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं की सतत समीक्षा की जाकर निर्धारित समय-सीमा में अनुमतियां/सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं तथा परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन को फेसिलिटेट किया जाता है। वर्तमान मे इस पोर्टल से 32 सेवाओं का ऑनलाइन लाभ सभी वर्गो के निवेशको द्वारा लिया जा रहा है। इस व्यवस्था से पूंजी निवेश की प्रक्रिया को ओर गति मिलेगी।

2. **इन्टेंशन टू इन्वेस्ट :-** वित्तीय वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर 2020) में एमपीआईडीसी की वेबसाइट के माध्यम से निवेशको द्वारा विभागीय सिंगल विण्डो सिस्टम अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के 76 निवेश प्रस्ताव दर्ज किए गए जिनमे रू. 14199 करोड का पूंजी निवेश प्रस्तावित है तथा 272589 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है।

3. **जीआईएस आधारित भूमि आवंटन पोर्टलः-** एमपीआईडीसी द्वारा जीआईएस आधारित भूमि आवंटन पोर्टल का निर्माण किया गया है। जीआईएस पोर्टल के माध्यम से किसी भी समय एवं स्थान पर औद्योगिक भूखण्डो की उपलब्धता देखी जा सकती है। इसके माध्यम से पूर्ण रूप से ऑनलाईन भूमि बुकिंग प्रक्रिया एवं ऑनलाईन आवेदन करने की सुलभता प्रदान की जाती है। साथ ही आधार (UIDAI) आधारित ई-साइन सुविधा एवं उक्तानुसार वैध डिजीटल सिग्नेचर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस एवं चालान जैसे विभिन्न मोड के माध्यम से विभाग की ओर से भुगतान प्राप्त करने हेतु भुगतान गेटवे प्रणाली के साथ एकीकरण कर व रियल टाइम एप्लिकेशन स्टेटस ट्रेकिंग की सुविधा निवेशकों को प्रदान की जा रही है।

उक्त ऑनलाइन भूमि बुकिंग प्रक्रिया मे कोई दस्तावेज आवश्यक नही होने के फलस्वरूप यह एक पूर्ण रूप से कागज रहित प्रणाली है। साथ ही समयबद्ध भूमि आवंटन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त प्रक्रिया में त्वरित रसीदों एवं सूचना का प्रदाय (एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से) सुनिश्चित किया जाता है।

4. **डीम्ड अनुमतिः-** निगम के आधिपत्य अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्रो मे भूमि आवंटन से संबंधित सेवाओं हेतु डीम्ड अनुमति के संबंध मे अद्यतन प्रस्ताव शासन को निम्नानुसार प्रेषित किया गया है-

- **आशय पत्र जारी करना -** निवेशकों द्वारा ऑनलाईन अभ्यावेदन में प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रू. 10 करोड़ के बराबर अथवा उससे अधिक निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में स्वतः ही आशय पत्र पोर्टल से जारी हो जावे। निवेशकों द्वारा ऑनलाईन अभ्यावेदन में प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रू. 10 करोड़ से कम निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनिवार्यतः 07 दिवस में जारी कर दिया जावेगा। यदि पदाभिहित अधिकारी अधिनियम की धारा-3 की उपधारा 2 के अधीन अधिसूचित किसी सेवा के लिए प्राप्त आवेदनों का नियत समय-सीमा के भीतर विनिश्चय करने मे असफल होता है तो, ऐसी सेवा के लिए मान्य अनुमोदन पदाभिहित पोर्टल द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, ऐसे मान्य अनुमोदन की कानूनी वैधता, पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के समान होगी।
- **आवंटन आदेश जारी करना -** आशय पत्र की पूर्ण राशि प्राप्त होने के दिनांक से 04 दिवस मे आवंटन आदेश जारी हो जावेगा। समयावधि में आवंटन आदेश जारी न करने की दशा में मान्य अनुमोदन पदाभिहित पोर्टल द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, ऐसे मान्य अनुमोदन की कानूनी वैधता, पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के समान होगी।
- **आधिपत्य प्रदान करना -** पट्टा अभिलेख के पंजीयन होने के उपरांत 03 दिवस मे आधिपत्य प्रदान किया जावेगा। समयावधि में आधिपत्य प्रदान न करने की दशा में मान्य अनुमोदन पदाभिहित पोर्टल द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, ऐसे मान्य अनुमोदन की कानूनी वैधता, पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के समान होगी।

5. **इन्वेस्टमेंट ड्राईव** -प्रदेश में निवेश आकर्षित करने हेतु "इन्वेस्टमेंट ड्राईव" निर्वाध रूप से एक सतत् प्रक्रिया स्वरूप चल रहा है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रोड-शो, वर्चुअल इवेंट्स, प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है तथा उक्त आयोजनों में निवेशको से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

प्रदेश को निवेश हेतु आकर्षक राज्य के रूप में प्रोजेक्ट करने, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने हेतु एवं प्रदेश में उपलब्ध निवेश की सम्भावनाओं की मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 में (1 अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर 2020) में 02 वर्चुअल राउण्ड टेबिल चर्चाओं का आयोजन किया गया तथा विभाग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न वेबिनार, विडीयो कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल इवेंट्स आदि में भागीदारी कर निवेशको से सम्पर्क स्थापित किया गया।

6. **औद्योगिक अधोसंरचना विकास**

- **नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना** - निवेशकों को आकर्षित करने हेतु अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं। विकसित औद्योगिक भूखंडों के सुलभ विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मांग के अनुरूप 1578.25 हेक्टेयर भूमि पर 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। जिसके तहत इच्छुक उद्यमियों से ईओआई (Expression of Interest) दिनांक 27.11.2020 से आमंत्रित किये गये।
- **लैण्ड पूलिंग योजना** 2019 - राज्य शासन द्वारा लैण्ड पूलिंग योजना 2019 की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजना के तहत इन्दौर-धार इन्वेस्टमेंट रीजन में पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र क्रं. 04 एवं 05 के विकास के लिये प्रथम चरण में 586.70 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर रू. 550.00 करोड़ की लागत से नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु शासन द्वारा दिनांक 22.09.2020 को स्वीकृति प्रदाय की गई है। इससे क्षेत्र में रू. 15000.00 करोड का निवेश आवेगा एवं 10000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।
- **चंबल एक्सप्रेस-वे** - चंबल एक्सप्रेस-वे को एक समेकित आर्थिक विकास का आदर्श मॉडल बनाकर औद्योगिक पार्क विकसित किये जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित चंबल प्रोग्रेस-वे के औद्योगिक विकास एवं निवेश क्षमता के आंकलन हेतु मेसर्स ई एण्ड वाय जे.व्ही. मेहता एसोशिएट कंसलटेंट दिनांक 10.11.2020 को नियुक्त किया गया है।
- **भारत सरकार को प्रस्तुत प्रस्ताव संबंधी जानकारी** - औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा मेडिकल डिवाईस पार्क एवं बल्क ड्रग पार्क के संवर्धन / स्थापना हेतु संदर्भ क्र.31026/54/2020- पॉलिसी दिनांक 27 जुलाई 2020 द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार राज्य शासन की ओर से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा अर्द्धशासकीय पृष्ठ क्र. 166/प्र.स. / औ.नी.एवं नि.प्रो.वि दिनांक 22.9.2020 को उक्त दोनों योजनाओं के स्थापना संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

7. दिल्ली –मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) परियोजना

भारत सरकार द्वारा दिल्ली-मुम्बई के बीच Dedicated Freight Corridor (DFC) के दोनों ओर लगभग 150 कि.मी. तक के क्षेत्र में दिल्ली- मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) परियोजना भारत सरकार द्वारा जापान सरकार के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से क्रियान्वित करने की योजना है। प्रदेश के नीमच, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ अलीराजपुर, धार, इंदौर उज्जैन, शाजापुर, देवास एवं राजगढ जिले परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। डीएमआईसी परियोजना के लिए राज्य में एमपी इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित है।

- **विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन** - प्रदेश के उज्जैन जिले में डी.एम.आई.सी. योजना अन्तर्गत विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्रीयल टाउनशिप 460 हेक्टेयर भूमि पर देवास उज्जैन राज्य राजमार्ग पर 300.00 करोड़ की लागत से विकसित की गई है। टाउनशिप अंतर्गत 91 इंडस्ट्रीयल प्लाट, 19 रेसीडेंशियल प्लाट, 17 कमर्शियल प्लाट एवं 20 प्लाट पब्लिक एवं सेमी पब्लिक हेतु, इस प्रकार सभी बुनियादी सुविधाओं सहित कुल 147 प्लाट विकसित किये गये हैं। विक्रम उद्योगपुरी मे उद्योगपतियों एवं निवेशकों को भूमि आवंटन की ऑनलाइन कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

- **पीथमपुर जल प्रदाय योजना -** औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयों को निरन्तर जल प्रदाय हेतु नर्मदा-क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट से 90 एम.एल.डी. की जल प्रदाय योजना विकसित कर उद्योगों को जल प्रदान का कार्य प्रारंभ किया गया है।

8. निवेश परियोजनाओं को भूमि आवंटन

दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 253 औद्योगिक इकाईयों को लगभग 97.53 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई जिसमें रू. 857.61 करोड़ का पूंजी निवेश तथा लगभग 7917 व्यक्तियों को रोजगार संभावित है। उक्त अवधि में ही अविकसित भूमि का आवंटन कुल 07 इकाईयों को लगभग 124.65 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई जिसमें रू. 2641.94 करोड़ का पूंजी निवेश तथा लगभग 2575 व्यक्तियों को रोजगार संभावित है।

9. औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता

- वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल 2020 से 31 दिसबंर 2020 तक) में वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिए मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 अंतर्गत एमपीआईडीसी लि. स्तर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति की कुल 02 बैठक आयोजित कर कुल 55 प्रकरणों में सुविधा की पात्रता का निर्धारण किया गया ।
- वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल 2020 से 31 दिसबंर 2020 तक) में वैट/सीएसटी प्रतिपूर्ति योजना अन्तर्गत कुल 13 क्लेम प्रकरणों में रूपये 3,53,88,000/- की सहायता राशि स्वीकृत/वितरित की गयी।

- वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल 2020 से 31 दिसबंर 2020 तक) में निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना अन्तर्गत कुल 78 क्लेम प्रकरणों में रूपये 137,49,59,625/- की सहायता राशि स्वीकृत/वितरित की गयी।
- वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल 2020 से 31 दिसबंर 2020 तक) में भारत ओमान रिफाईनरी बीना को वैट टेक्स प्रतिपूर्ति के रूप में ब्याज रहित ऋण राशि रूपये 165.00 करोड़ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।
- वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल 2020 से 31 दिसबंर 2020 तक) में टेक्सटाईल परियोजनाओं को पुनरीक्षित विशेष पैकेज-2012/ मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के तहत ब्याज अनुदान योजनांतर्गत कुल 24 क्लेम प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिनमें रूपये 19,61,97,872/- की ब्याज अनुदान राशि स्वीकृत/वितरित की गयी।
- वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल 2020 से 31 दिसबंर 2020 तक) में अधोसंरचना विकास के व्यय की प्रतिपूर्ति योजना अन्तर्गत कुल 01 क्लेम प्रकरणों में रूपये 16,48,999/- सहायता/प्रतिपूर्ति राशि स्वीकृत की जाकर वितरित की गयी।
- वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल 2020 से 31 दिसबंर 2020 तक) में हरित औद्योगिकरण अंतर्गत ईटीपी निवेश पर पूंजी अनुदान के 02 प्रकरणों में राशि रूपये 1,07,02,690/- स्वीकृत/वितरित की गयी।
- वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल 2020 से 31 दिसबंर 2020 तक) में प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी कुल 01 प्रकरण में राशि रू 67,51,813/- स्वीकृत/वितरित की गयी।

10. निर्यात संवर्धन

प्रदेश में निर्यात संवर्धन हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। जिसमें निर्यात संवर्धन में राज्य की भूमिका, उठायें गये कदम, निर्यातकों की समस्या के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाती है। निर्यात संवर्धन हेतु जिलास्तरीय निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया गया है। जिले के उत्पाद और उत्पाद की देशव्यापी ब्रांडिंग हेतु संभावित औद्योगिक/पारंपरिक /विशिष्ट उत्पाद एवं सेवा गतिविधियों की पहचान की गई है। राज्य शासन स्तर पर इनका परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा कि एक ही उत्पाद/सेवा रखी जाए या उससे अधिक । निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्टेलीजेन्स तथा निर्यात सुविधा केन्द्र के लिये जारी आर.एफ.पी. के चयनित कन्सल्टेंट की रिपोर्ट का उपयोग किया जावेगा । कन्सल्टेंट के चयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

11. अन्य विशिष्ट उपलब्धियां

- **निवेश संवर्धन पर मंत्रि–परिषद समिति द्वारा स्वीकृत निवेश प्रस्ताव** - वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिसबंर 2020) में निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद् समिति की 01 बैठक आयोजित हुई। उक्त बैठक में कुल रू. 150 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश के 01 प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना स्थापना से लगभग 135 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्राप्त होना प्रस्तावित है। स्वीकृत परियोजना क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

- **माननीय मुख्यमंत्रीजी की निवेशकों से वन-टू-वन बैठक -** मा. मुख्यमंत्रीजी की निवेशकों के साथ समय-समय पर वन-टू-वन बैठकों का आयोजन किया गया है जिसमें निवेशकों की समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही की गई है।

12. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR- Corporate Social Responsibility)

मध्यप्रदेश में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) की गतिविधियों को फेसिलिटेट करने एवं उनके क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसके राज्य नोडल अधिकारी प्रबंध संचालक एम पी आई.डी.सी. लि., भोपाल है। सी.एस.आर. के फेसिलिटेशन के संबंध में स्टेट नोडल एजेंजी एम पी आई.डी.सी. लि. द्वारा मेप-आई.टी. के माध्यम से एम.पी.सी.एस.आर. वेब पोर्टल http://www.csr.mp.gov.in विकसित की गई है। इस वेबसाईट पर विभागवार एवं जिलावार सेल्फ आफ प्रोजेक्ट प्रदर्शित हैं। कंपनी इन सेल्फ आफ प्रोजेक्ट में से उसकी इच्छानुसार प्रोजेक्ट का चयन कर सकेगी। कंपनियों के उपर यह बंधन नहीं है कि वह इसी प्रोजेक्ट में से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में कार्य करे। परंतु मध्यप्रदेश शासन के स्वामित्व की कंपनियों के लिये बंधनकारी होगा कि वेबसाईट पर प्रदर्शित परियोजनाओं को ही सीएसआर अंतर्गत ले सकेंगे।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के फेसिलिटेशन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 30.05.2020 को आयोजित की गई जिसमें विभिन्न विभागों एवं जिला कार्यालयों द्वारा अपलोड किए गए 144 प्रोजेक्टस की जानकारी से समिति को अवगत कराया गया व जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर कार्यो की सूची वेबपोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही समिति द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों एवं जिला कलेक्टरों को अभिनव एवं गुणवत्ता पूर्ण परियोजनायें तैयार कर सीएसआर वेबपोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु परामर्श दिया गया ।

13. निगम की वित्तीय स्थिति

1. प्रदत्त पूंजी - रू. 80.25 लाख (समस्त पूंजी राज्य शासन द्वारा वैष्ठित है)
2. अधिकृत पूंजी - रू. 13,500.00 लाख
3. संचित कोष - रू. 14592.16 लाख (31 मार्च 2019 की स्थिति में)

- **लेखा अंकेक्षण की स्थिति :**

वित्तीय वर्ष 2017-18 के खातों का महालेखाकार कार्यालय भोपाल द्वारा अंकेक्षण पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2018 -19 के खातों का सांविधिक अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है । वित्तीय वर्ष 2019-20 के खातों को तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधनी है।

14. महत्वपूर्ण सांख्यिकी –

एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा एवं ग्वालियर अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी (31.12.2020 की स्थिति में) –

➢ **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल – विकसित औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी**

क्रं	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या
1	औ. क्षेत्र मण्डीदीप	1102.087	849.862	979	848.693	849.862	979	17
2	औ. क्षेत्र पीलूखेडी	228.00	198.54	145	167.77	112	30.768	33
3	औ. क्षेत्र फूडपार्क बाबई-पिपरिया	25.64	14.735	90	10.311	68	4.424	22
4	औ. क्षेत्र जम्बार बागरी	84.31	47.552	207	1.323	14	46.229	193
5	औ. क्षेत्र बगरौदा	128.02	80.38	485	68.241	471	12.139	14
6	औ. क्षेत्र अचारपुरा	147.34	88.89	245	40.547	167	48.343	78
7	औ. क्षेत्र कीरतपुर	98.05	37.04	193	8.298	56	28.742	137
8	औ. क्षेत्र मोहासा-बाबई	679.580	443.831	465	55.59	03	388.241	462
9	औ. क्षेत्र बड़ियाखेडी	117.758	83.64	138	31.314	45	52.326	93
10	औ. क्षेत्र आई.आई.डी बीना	41.50	22.207	296	9.908	79	12.299	217
11	औ. क्षेत्र सिद्धगुंवा	122.00	73.485	353	45.619	226	27.866	127
12	औ. क्षेत्र प्लास्टिक पार्क तामोट	49.330	36.49	173	5.009	16	31.481	157

➢ **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर – विकसित औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी**

क्रं	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या
1	औ. क्षेत्र सीतापुर फेस - I	54.46	37.5509	78	11.4191	38	26.1318	40
2	औ. क्षेत्र सीतापुर फेस - II	155.49	104.3996	53	14.511	9	89.8886	44
3	औ. क्षेत्र पिपरसेवा	66.27	40.049	177	5.8	8	34.249	169
4	औ. क्षेत्र रेडीमेड गारमेंट पार्क	19.99	11.309	223	3.581	62	7.728	161
5	औ. क्षेत्र फूड क्लस्टर बडौदी	14.773	6.87	79	0.405	2	6.465	77
6	औ. क्षेत्र बानमौर	273.675	229.366	293	228.582	288	0.784	5
7	औ. क्षेत्र प्रतापपुरा	45.097	24.4383	113	23.438	106	0.9996	7
8	आईआईडी प्रतापपुरा	21.005	11.08	139	8.097	114	2.983	25
9	आईआईडी जड़ेरूऑ	28.14	17.019	121	10.20	82	6.819	39
10	औ. क्षेत्र मालनपुर-घिरौंगी	1311.272	940.23	933	789.66	595	150.567	338
11	औ. क्षेत्र फूडपार्क मालनपुर	28.188	17.25	66	10.75	33	6.5	33
12	औ. क्षेत्र स्टोन पार्क ग्वालियर	37.629	15.447	105	12.9	91	2.547	14

➢ **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर – विकसित औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी**

क्रं.	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	भूखण्ड संख्या
1	औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर 1, 2, 3, 4, (खेड़ा)	2,214.372	1,914.30	1585	1,534.15	1584	380.147	1
2	औ.क्षेत्र एस.ई.झेड़ फेस-1 एवं 2 पीथमपुर, धार	569.330	461	414	324.448	363	136.552	51
3	एफ.पी.पी. निमरानी, खरगोन	27.120	27.108	175	21.1	169	6.008	6
4	आई.आई.डी.सी. निमरानी, खरगोन	74.080	40.62	107	35.791	95	4.829	12
5	मेघनगर, झाबुआ	223.750	141.593	220	125.856	195	15.737	25
6	रेडीमेड काम्पलेक्स जिला-इन्दौर	16.600	9.851	221	9.851	221	0.000	0

7	इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स, इन्दौर	18.800	6.440	180	6.430	180	0.000	0
8	रंगवासा-राऊ, जिला-इन्दौर	9.040	7.630	34	7.620	34	0.000	0
9	सोनवाय भैंसलाय जिला-इन्दौर	65.246	50.820	5	50.820	5	0.000	0
10	रूद्धी भावसिंहपुरा जिला-खण्डवा	148.740	91.15	208	3.943	18	87.207	190
11	रेल्वाखुर्द खजूरी, जिला-बड़वानी	40.455	28.703	49	20.328	2	8.375	47
12	नमकीन क्लस्टर, जिला-इन्दौर	5.146	4.730	33	2.050	33	0.000	0
13	उज्जैनी जिला-इन्दौर	58.416	41.800	214	27.469	19	14.331	195
14	औद्योगिक क्षेत्र बिजेपुर (फार्मा एवं अपेरल क्लस्टर), जिला-इन्दौर	36.760	36.779	229	8.796	206	27.983	23
15	पीथमपुर-5 (डिनोटीफाईड एरिया) जिला-धार	22.710	17.648	9	16.024	7	1.624	2
16	स्मार्ट इण्डस्ट्रीयल पार्क, पीथमपुर, (नेट्रीप) जिला-धार	478.307	478.30	105	201.60	62	276.70	43
17	देवास-2 एवं देवास-3 जिला-देवास	296.930	224.75	244	224.75	244	0.000	0
18	मक्सी, जिला शाजापुर	89.169	89.169	100	82.680	100	0.000	0
19	आई.आई.डी.सी. / एफ.पी.पी. जग्गाखेड़ी जिला-मंदसौर	40.580	40.58	135	21.085	135	19.495	0
20	नमकीन एण्ड अलाईड फूड क्लस्टर, करमदी, जिला-रतलाम	18.150	18.145	124	8.638	121	9.507	3
21	नेमावर जिला-देवास	40.000	39.998	100	0.02	1	39.978	99
22	ताजपुर जिला-उज्जैन	82.840	82.843	194	7.608	36	75.235	158
23	सिरसोदा जिला-देवास	49.560	48.723	111	0.215	2	48.508	109
24	झांझरवाड़ा जिला-नीमच	85.960	87.886	193	0	9	87.886	184
25	विक्रम उद्योगपुरी जिला-उज्जैन	458.600	617.314	147	27.071	87	590.24	60
26	क्रिस्टल आई.टी. पार्क, इन्दौर	5.153	4.664	0	4.664	0	0.000	0
27	अतुल्य आई.टी. पार्क, इन्दौर	1.993	0.983	0	0.929	0	0.054	0

➢ **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर – विकसित औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी**

क्रं	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे.में)	भूखण्ड संख्या
1	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा	250.435	173.72	270	153.79	212	19.93	58
2	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव (विस्तार), छिंदवाड़ा	34.731	22.755	73	7.421	17	15.334	56
3	फूडपार्क बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा	21.465	15.918	31	15.918	31	-	-
4	औद्योगिक क्षेत्र लहगडुआ, जिला छिंदवाड़ा	35.042	27.455	89	-	-	27.455	89
5	औद्योगिक क्षेत्र भुरकलखापा, जिला सिवनी	60.780	40.046	114	9.548	36	30.498	78
6	औद्योगिक विकास केन्द्र मनेरी, जिला मण्डला	486.917	192.189	413	125.313	240	66.876	173
7	फूडपार्क मनेरी,जिला मण्डला	30.354	18.003	49	9.113	31	8.89	18
8	औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया फेस-I, जबलपुर	60.000	20.547	113	17.162	106	3.385	7
9	औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया फेस-II, जबलपुर	63.050	30.148	121	6.294	34	23.854	87
10	औद्योगिक क्षेत्र हरगढ़, जिला जबलपुर	271.840	88.692	112	37.142	66	51.55	46
11	आईआईडीसी लमतरा,	26.900	16.244	181	14.744	179	1.5	2
12	औद्योगिक क्षेत्र लमतरा, जिला कटनी	46.100	33.972	98	31.309	92	2.663	6
13	औद्योगिक क्षेत्र अमकुही, जिला कटनी	60.000	27.106	136	13.652	103	13.454	33
14	स्टोनपार्क हरदुआ-खुडावल, जिला कटनी	39.920	10.380	45	4.401	25	5.979	20
15	उद्योगगिरी पुरैना, पन्ना	105.500	66.725	87	47.998	51	18.727	36

➢ **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा – विकसित औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी**

क्रं	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे.में)	भूखण्ड संख्या
1	औ. क्षेत्र उदयोग बिहार रीवा	134.910	134.910	237	133.98	237	0.912	-
2	औ. क्षेत्र उद्योग द्वीप बैढन जिला सिंगरौली	49.213	49.21	132	44.47	91	4.74	41
3	औ. क्षेत्र मैहर जिला सतना	34.267	34.267	98	28.773	77	5.494	21
4	औ. क्षेत्र आई.आई डी.सी. नादन टोला अमरपाटन जिला सतना	38.90	38.90	539	15.99	11	22.91	528

➢ **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा – विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी**

क्रं	विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि (प्री-बुकिंग)		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूखण्ड संख्या
1	टेक्सटाईल पार्क अचारपुरा जिला- भोपाल	44.00	25.74	158	0.163	02	25.577	156
2	औ. क्षेत्र प्लास्टिक पार्क बिलौआ	37.632	24.912	113	1.506	4	23.406	109
3	औद्योगिक क्षेत्र जेतापुर पलासिया	200.860	141.618	98	0	0	141.618	98
4	औद्योगिक क्षेत्र रेहटा खाडकोट	30.580	30.58	165	0	0	30.58	165
5	आई.टी.पार्क फेस-1 एवं कन्फेक्शनरी क्लस्टर, रंगवासा, इन्दौर	28.650	31.477	81	23.764	41	7.713	40
6	इन्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रीयल पार्क	36.580	42.05	23	25.849	8	16.201	15
7	हातोद सरदारपुर	152.415	123.457	295	8.056	4	115.401	291
8	कसारबर्डी	71.750	71.614	89	0.048	1	71.566	88
9	पीथमपुर-6 जिला-धार	86.960	31.460	6	18.780	2	12.680	4
10	औ. क्षेत्र उद्योग द्वीप बैढन जिला सिगरौली तृतीय चरण	32.342	32.342	42	0.24	01	32.102	41
11	औ. क्षेत्र गुढ जिला रीवा	108.414	108.414	88	0.179	01	108.235	87
12	औ. क्षेत्र बाबूपुर जिला सतना	62.65	62.65	63	-	-	62.65	63

नोट-: एमपी आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी – निरंक

➢ **एमपी आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल – अविकसित भूमि स्थान/ग्राम की जानकारी**

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	भूमि का प्रयोजन	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
				क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	तामोट, तहसील-गौहरगंज जिला-रायसेन	46.987	औद्योगिक	-	46.987
2	बीलखेडी, तहसील-गौहरगंज जिला-रायसेन	51.123	औद्योगिक	-	51.123
3	जमुनिया-खेजडा,तहसील-रायसेन, जिला-रायसेन	108.602	औद्योगिक	60.29 18.22	30.092
4	रसूलिया, गोकलाकुंडी, रोजडाचक, तहसील-गोहरगंज जिला-रायसेन	44.913	औद्योगिक	-	44.913
5	पगनेश्वर, तहसील-रायसेन जिला-रायसेन	77.457	औद्योगिक	20.242	57.215
6	डोलरिया, तहसील-डोलरिया जिला- होशंगाबाद	16.187	औद्योगिक	-	16.187 (मे. भिलाई स्टील प्लांट को आवंटित लीजडीड निरस्त, आधिपत्य विभाग के पास)
7	बागलान, बज्जरवाडा, आरी तहसील- बाबई जिला-होशंगाबाद	418.574	औद्योगिक	-	418.574
8	पीपलनेर, बैरागढकला, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल	33.230	औद्योगिक	-	33.230
9	कोलुआकला एवं नरेला शंकरी, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल	57.174	औद्योगिक	-	57.174
10	झिलेला, तहसील-जावर जिला-सीहोर	214.527	औद्योगिक	-	214.527
11	बागैर, तहसील-आष्टा जिला-सीहोर	151.227	औद्योगिक	-	151.227
12	अमीपुर, तहसील-आष्टा जिला-सीहोर	124.276	औद्योगिक	-	124.276
13	सीलखेडा, तहसील-श्यामपुर जिला-सीहोर	64.104	औद्योगिक	-	64.104
14	गुराडिया रूपचंद, तहसील-आष्टा जिला-सीहोर	132.507	औद्योगिक	-	132.507
15	मुबारकपुर, तहसील-आष्टा जिला-सीहोर	12.436	औद्योगिक	-	12.436
16	शेरपुर, तहसील-सीहोर जिला-सीहोर	4.694	औद्योगिक	-	4.694

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	भूमि का प्रयोजन	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
				क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
17	बासापुर, तहसील-बुधनी जिला-सीहोर	7.604	औद्योगिक	-	7.604
18	जर्रापुर, तहसील-बुधनी जिला-सीहोर	13.278	औद्योगिक	-	13.278
19	पालाबे, तहसील-ब्यावरा जिला-राजगढ़	54.557	औद्योगिक	-	54.557
20	जगन्यापुरा, तहसील-ब्यावरा जिला-राजगढ़	84.964	औद्योगिक	-	84.964
21	आलमपुरा, तहसील-ब्यावरा जिला-राजगढ़	13.553	औद्योगिक	-	13.553
22	कालाकोट, तहसील-ब्यावरा जिला-राजगढ़	21.274	औद्योगिक	-	21.274
23	चंदेरी, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ़	53.956	औद्योगिक	-	53.956
24	कानसौरकला, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ़	24.811	औद्योगिक	-	24.811
25	डोबडा, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ़	89.319	औद्योगिक	-	89.319
26	बगपुरा, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ़	40.195	औद्योगिक	-	40.195
27	समेली, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ़	90.035	औद्योगिक	-	90.035
28	गुलजारपुरा, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ़	26.833	औद्योगिक	-	26.833
29	कालीकराड, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ़	94.666	औद्योगिक	-	94.666
30	कडिया, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ़	109.878	औद्योगिक	-	109.878
31	रतनपुरिया, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ़	62.598	औद्योगिक	-	62.598
32	लालपुरिया, तहसील-ब्यावरा जिला-राजगढ़	90.73	औद्योगिक	-	90.73
33	कांदियाखेडी, तहसील-ब्यावरा जिला-राजगढ़	117.94	औद्योगिक	-	117.94
34	पीपलदा, तहसील-जीरापुर जिला-राजगढ़	40.00	औद्योगिक	-	40.00
35	कस्तूरीपुरा, तहसील-राजगढ जिला-राजगढ़	15.651	औद्योगिक	-	15.651
36	नाईपुरिया, तहसील-राजगढ	32.54	औद्योगिक	-	32.54

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	भूमि का प्रयोजन	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
				क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	जिला-राजगढ़				
37	बापची, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ़	2.525	–	-	2.525
38	केसरपुरा, तहसील-राजगढ जिला-राजगढ़	0.137	–	-	0.137
39	जोगीदाता, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ़	5.015	–	-	5.015
40	काचरी, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ़	26.017	औद्योगिक	-	26.017
41	दिलावरी, तहसील-राजगढ,जिला-राजगढ़	66.777	औद्योगिक	-	66.777
42	प्रेमपुरा, तहसील-खिलचीपुर जिला-राजगढ़	51.219	औद्योगिक	-	51.219
43	रूसिया, पेराखेडी तहसील-कुरवाई जिला-विदिशा	135.00	औद्योगिक	-	135.00
44	पटना काकरी, तहसील-रेहली जिला-सागर	21.00	औद्योगिक	-	21.00
45	छलपतपुर, तहसील-खुरई, जिला-सागर	27.22	औद्योगिक	-	27.22
46	करमपुर, तहसील-खुरई, जिला-सागर	60.00	औद्योगिक	-	60.00
47	बेलाई, तहसील-बीना, जिला-सागर	40.00	औद्योगिक	-	40.00
48	सौरई, तहसील-बंडा, जिला-सागर	91.509	औद्योगिक	-	91.509
49	चेवला, तहसील-देवरी, जिला-सागर	158.58	औद्योगिक	-	158.58
	योग	**398.309**		-	**398.309**
	महायोग	**3327.399**		**98.752**	**3228.647**

➢ **एमपी आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर – अविकसित भूमि स्थान/ग्राम की जानकारी**

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	भूमि का प्रयोजन	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
				क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	मोहना जिला ग्वालियर	210.248	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	210.248
2	ग्राम सिमरियाताल, डबर जिला ग्वालियर	20.769	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	20.769
3	ग्राम डेहरवारा, कौलारस जिला शिवपुरी	77.07	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	77.07
4	ग्राम गुरावल जिला शिवपुरी	30.64	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	30.64

5	किरार पोहरी जिला शिवपुरी	57.414	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	57.414
6	ग्राम परीक्षा अहीर पोहरी जिला शिवपुरी	52.06	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	52.06
7	बैराड ग्राम कालामढ़ जिला शिवपुरी	81.11	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	81.11
8	ग्राम घुटारी ग्राम बेहटा ग्राम पडौरा कौलारस जिला शिवपुरी	859.35	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	859.35
9	चेनपुरा जिला गुना	333.98	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	333.98
10	सकतपुरा जिला गुना	80.00	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	80.00
11	ग्राम पिपरोदा खुर्द जिला गुना	37.229	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	37.229
12	ग्राम कुसमोदा जिला गुना	8.333	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	8.333
13	ग्राम व तहसील कुभराज, जिला गुना	26.482	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	26.482
14	ग्राम ढढारी जिला छतरपुर	23.00	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	23.00
15	बवेडी जंगल तहसील ओरछा जिला निवाडी	14.144	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	14.144
16	ग्राम बरही जिला भिण्ड	45.84	औद्योगिक प्रयोजन हेतु	--	45.84
योग		**1957.699**			**1957.699**

➢ **एमपी आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर – अविकसित भूमि स्थान/ग्राम की जानकारी**

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	मल्टीप्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क, रंगवासा, तहसील-इन्दौर, जिला-इन्दौर	92.963	0.000	92.963
2	खेरवास, तहसील-बदनावर, धार	38.230	28.500	9.730
3	चीराखान, तहसील-देपालपुर, इन्दौर	73.546	0.000	73.546
4	जामुनिया जागीर, तहसील-महू, जिला-इन्दौर	9.930	0.000	9.930
5	अहेरवास, तहसील-मनावर, धार	100.397	0.000	100.397
6	औद्योगिक क्षेत्र मोहना, तहसील-देपालपुर, जिला-इन्दौर	140.398	12.950	127.448
7	कछनारिया, तहसील-नागदा, उज्जैन	177.000	0.000	177.000
8	पोलायकलां एवं पीपलरावा तहसील-शुजालपुर एवं सोनकच्छ, जिला-देवास एवं शाजापुर	476.945	0.000	476.945
9	लालुखेड़ी, तहसील-नलखेड़ा, जिला-आगर-मालवा	82.260	0.000	82.260
10	लालबाग-लोधीपुरा, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	203.872	0.000	203.872

11	तारपुरा, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	256.128	0.000	256.128
12	डोल, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	39.991	0.000	39.991
13	कुण्डा, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	38.543	0.000	38.543
14	बागवन्या, तहसील-धरमपुरी, धार	28.378	0.000	28.378
15	काली किराय, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	40.403	0.000	40.403
16	गवल्याखेड़ी, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	31.317	0.000	31.317
17	देदला, तहसील-धार, जिला-धार	37.414	0.000	37.414
18	डिगलाय, तहसील-धार, जिला-धार	6.405	0.000	6.405
19	खण्डवा, तहसील-धार, जिला-धार	41.838	0.000	41.838
20	बोदला, तहसील-धार, जिला-धार	31.364	0.000	31.364
21	दोसीगांव (अल्कोहल प्लान्ट लगून), तहसील-रतलाम, जिला-रतलाम	19.840	0.000	19.840
24	औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाईल पार्क (जावरा शूगर मील), तहसील-जावरा, जिला-रतलाम	35.750	0.000	35.750
25	बुढी बरलाई (मालवा शूगर मील), तहसील-सांवेर, जिला-इन्दौर	33.500	0.000	33.500
26	थाण्दला, तहसील-थाण्दला, जिला-झाबुआ	204.870	0.000	204.870
27	मोरवान, तहसील-जावद, नीमच	50.160	0.000	50.160
28	कुडियापाड़ा, देवगढ़, रतनाली, साग्वा, तहसील-थाण्दला, जिला-झाबुआ	145.950	0.000	145.950
29	हरनियाखेड़ी, तहसील-महू, इन्दौर	2.104	0.000	2.104
30	तिलगारा, तहसील-बदनावर, धार	150.150	0.000	150.150
31	छायन, तहसील-बदनावर, जिला-धार	52.278	0.000	52.278
32	चीराखान, तहसील-बदनावर, धार	81.534	0.000	81.534
	योग	**2,723.458**	**41.450**	**2,682.008**

➢ **एमपी आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर – अविकसित भूमि स्थान/ग्राम की जानकारी**

क्र.	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि (हेक्टे. में)	रिक्त भूमि (हेक्टे. में)
1	कुसमेली, खापाभात, छिंदवाड़ा,	40.225	-	40.225
2	गाजनडोह, उमरेठ, छिंदवाड़ा	2.505	2.505	-
3	सोनापीपरी, उमरेठ, छिंदवाड़ा	6.072	-	6.072
4	खुनाझिरकला, मोहखेड़, छिंदवाड़ा	3.407	3.407	-
5	डोमरी उमरेठ, छिंदवाड़ा	47.980	-	47.980
6	भुरकलखापा, डुंगरिया, बिठली सिवनी,	616.120	19.800	596.320
7	बोडूंदाकला, किरनापुर, बालाघाट	122.450	-	122.450

8	चिकमारा, कटंगी, बालाघाट	5.850	-	5.850
9	चावरपाठा, केसली, बडियाघाट, तेंदूखेड़ा, नरसिंहपुर	296.061	-	296.061
10	कठौतिया, करेली, नरसिंहपुर	45.803	-	45.803
11	ऐंटाखेड़ा, जबलपुर	42.420	-	42.420
12	उमरिया, डुंगरिया शहपुरा, जबलपुर	193.390	-	193.390
13	खैरी, शहपुरा, जबलपुर	53.970	-	53.970
14	सरदा, सिहोरा, जबलपुर	18.000	-	18.000
15	धरमपुरा, सिहोरा, जबलपुर	11.670	-	11.670
16	पाराखेड़ा, सिहोरा, जबलपुर	7.900	7.900	-
17	अमकुही, मुरवारा, कटनी	30.000	-	30.000
18	लमतरा, चाका मुरवारा, कटनी	13.319	-	13.319
19	बोहता, कैलवारा खुर्द मुरवारा, कटनी	73.490	-	73.490
20	बण्डा, मुरवारा, कटनी	58.890	-	58.890
21	देवरी हटाई, मुरवारा, कटनी	99.310	-	99.310
22	सिमरा रीठी, कटनी	135.640	-	135.640
23	तिहारी, स्लीमनाबाद, कटनी	64.830	-	64.830
24	हरदुआ स्लीमनाबाद, कटनी	9.900	9.900	-
25	खुडावल स्लीमनाबाद, कटनी	7.000	-	7.000
26	विलायतकला, धरवारा बड़वारा, कटनी	49.765	-	49.765
27	मुरवारी, टिकरिया बिजोरा, कुसमी, सुनतरा, हरदुआ, सनकुई ढीमरखेड़ा, कटनी	558.670	-	558.670
28	करौंदी, ढीमरखेड़ा, कटनी	104.160	-	104.160
29	पटटी, बिजौरा बड़वारा, कटनी	4.910	4.910	-
30	रूपौंध, बछरवारा बड़वारा, कटनी	6.470	6.470	-
		0.590	0.590	-
31	अमेहटा, देवसरी विजयराघवगढ़, कटनी	3.060	3.060	-
32	बिजौरी,महुना, नरसिंहगढ पथरिया, दमोह	302.800	302.800	-
33	गिडन, सगोनी बटियागढ़, दमोह	497.984	-	497.984
34	गैसाबाद हटा, दमोह	2.286	2.286	-
35	हरदुवाकेन, सोतीपुरा अमानगंज, पन्ना	7.440	-	7.440
	कुल	3544.337	363.628	3180.709

➢ **एमपी आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा – अविकसित भूमि स्थान/ग्राम की जानकारी**

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	घुरेहटा, मऊगंज जिला रीवा	175.056	-	175.056
2	नया गांव जैतवारा जिला सतना	113.206	-	113.206
3	तपा, करही सगौनी जिला सतना	81.793	81.793	-
4	रघुराज नगर जिला सतना	40.173	-	40.173
5	पिडरताली जिला सिंगरौली	63.031	08	55.031
6	महदेइया जिला सिंगरौली	1.95	1.95	-
7	फुलवारी जिला सिंगरौली	60.34	-	60.34
8	वरगवॉ देवसर जिला सिंगरौली	48.169	-	48.169
9	गडेरिया जिला सिंगरौली	40.73	-	40.73
10	गिधेर, बडोखर भीखा झरिया	44.98	-	44.98
11	बाघाडीह जिला सिंगरौली	29.5	-	29.5
12	जलसार जिला अनूपपुर	116.53	-	116.53
13	दियापीपर जिला शहडोल	38.913	-	38.913
14	नौबस्ता जिला रीवा	166.296	166.296	-
15	भरतपुर जिला सीधी	106.734	106.734	-
16	चुरहट जिला सीधी	14.095	14.095	-
योग		1141.496	378.868	762.628

------ x ------

भाग - दो

बजट – योजनावार प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय

➢ कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

शासन द्वारा आवंटित बजट में मितव्ययता बरती जाती है। कार्यालय के लिये बजट प्रावधान का विगत 05 वर्ष का आवंटन एवं व्ययों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

बजट वर्ष	आवंटन (लाखों में)	व्यय (लाखों में)
2016-2017	422.68 लाख	328.18 लाख
2017-2018	404.89 लाख	386.91 लाख
2018-2019	490.13 लाख	454.15 लाख
2019-2020	597.74 लाख	456.65 लाख
2020-2021	512.64 लाख	337.04 लाख (दि.31/12/2020 की स्थिति में)

संचालित योजनायें:- इस कार्यालय के अधीन कोई योजना का संचालन नहीं किए जाने से योजना बजट नही है। कार्यालय द्वारा योजनाओं का संचालन नहीं किए जाने से जेण्डर बजट का प्रावधान नहीं है ।

➢ संचालक, वाष्पयंत्र

बॉयलर संचालनालय के अंतर्गत कोई योजना एवं गतिविधि का संचालन नहीं किया जाता है। यह एक पूर्ण आयोजनेत्तर विभाग है। इस कार्यालय को प्राप्त होने वाला बजट पूर्णतः आयोजनेत्तर (Non Plan) होता है। अधिकारियों / कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले वेतन भत्तों के अतिरिक्त यात्रा देयक एवं कार्यालय के सामान्य व्यय के अतिरिक्त कोई मद पर व्यय नहीं किया जाता है।

✓ **जेंडर बजट- निरंक**

नवीन वाष्पयंत्रों के पंजीयन शुल्क, निरीक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं फेब्रीकेशन शुल्क संचालनालय की आय के मुख्य स्रोत है। वितीय वर्ष(01.04.2020 से 31.12.2020 तक) में इस कार्यालय को प्राप्त चालानों के आधार पर आय व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैं।

वर्ष	आय	व्यय	बचत
2020-21 (दिसबंर 2020 तक)	1,72,18,519/-	81,45,062/-	90,73,457/-

इस संचालनालय द्वारा किसी प्रकार की योजना संचालित नहीं की जाती है। अतः योजनावार बजट निरंक है।

➢ मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (MPSIDC) भोपाल

- **निगम के वार्षिक लेखों से संबंधित जानकारी -** 31.03.2020 की स्थिति में निगम की प्राधिकृत अंशपूजी रू. 85.00 करोड तथा प्रदत्त पूंजी रू. 81.09 करोड थी । विगत तीन वर्षो के लिये अंकेक्षित एवं प्रावधिक लेखों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है- (राशि रू. करोड में)

विवरण	वर्ष 2017-2018 (प्रावधिक)	वर्ष 2018-2019 (प्रावधिक)	वर्ष 2019-2020 (प्रावधिक)
*लाभ/ (हानि)	25.97	67.72	4.42

* यह आंकडें **निवल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए)** के लिये संदिग्ध एवं डूबत ऋणों के प्रावधान के बाद के है।

- **अन्तर निगमीय जमा (Inter Corporate Deposits – ICD)**

<u>निगम की अन्तर निगमीय जमा राशि से संबंधित जानकारी</u>

1. निगम द्वारा वसूली हेतु समय-समय पर एक मुश्त समझौता नीति के अंतर्गत किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप वसूली की स्थिति मूलधन राशि रू. 663.37 करोड से घटकर मूलधन राशि रू. 248.21 करोड रह गई है।

2. यहां यह उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 18.07.2019 अनुसार अनुमोदित एक मुश्त समझौता नीति 2007 जो दिनांक 30.06.2017 तक लागू थी, की अवधि कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 31.12.2019 तक विस्तारित कर दी गई थी, जिसमें कि कुछ चूककर्ताओं द्वारा दिनांक 30.11.2019 तक आवेदन प्रस्तुत करना था ।

   उक्त आदेश के तारतम्य में कुछ डिफाल्टर कंपनियों ने **"एक मुश्त समझौता"(O.T.S.)** हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किये थे। किन्तु ये आवेदन **"एक मुश्त समझौता नीति 2007"** में उल्लेखित मापदण्डों के अनुरूप न होने तथा वैधानिक विकल्पों से अधिक वसूली होने के कारण यह आवेदन पर निर्णय/ फलीभूत नहीं हो पाया। अतः इन आवेदनों को आगामी संचालक मडल की बैठक में दिशानिर्देश हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

3. वसूली हेतु विधिक कार्यवाहियां जैसे कि प्रर्वतकों /प्रतिभूतिकर्ताओं के विरूद्ध आरआरसी, राज्य वित्त अधिनियम की धारा 31(1)(एए) के अंतर्गत प्रतिभूतिकर्ताओं की संपत्ति का उन्मोचन जिसमें व्यक्तिगत प्रतिभूति दी गई है, राज्य वित्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत निगम द्वारा अधिगृहित एकाईयों की संपत्ति का विक्रय किया जाना, ऋणी कंपनियों द्वारा दिये गये धनादेशों के अनादरित होने से एन.आई.एक्ट की धारा 138 की सहपठित धारा 141-142 के अंतर्गत दायर आपराधिक प्रकरण, कंपनी एक्ट की धारा 434 के अंतर्गत कंपनी के समापन की याचिका एवं जो कंपनी बंद हो चुकी है और उसमें आधिकारिक परिसमापक नियुक्त कर दिये गये हैं उनके समक्ष निगम द्वारा अपनी वसूली का दावा दायर कर निगम द्वारा निरंतर वसूली हेतु प्रयास जारी हैं।

4. शासन द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 27.07.2018 एवं 06.08.2018 के अनुसार ऐसी कंपनियां जिन्होने एक मुश्त समाधान योजना लागू होने के पूर्व या लागू होने के उपरांत अपने दायित्वों का निराकरण कर दिया है, के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही किया जाना या जारी रखना न्यायासंगत प्रतीत नहीं होने से ऐसी कंपनियों के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों को वापस लेने अथवा चल रहे आपराधिक प्रकरणों का शमन करने का परामर्श आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को दिया जावे । आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के पत्र दिनांक 10.01.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि आरोपित 42 कंपनियों मे से 21 आरोपी कंपनियों के संचालकों / प्रर्वतकों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई है जिसमें से शासनादेश के तहत पूर्ण राशि का भुगतान करने के फलस्वरूप 4 प्रकरण वापस ले लिये गये हैं। शेष आरोपी कंपनियों मे से 14 अरोपी कंपनियां जिन्होंने पूर्ण राशि का भुगतान किया था के प्रकरणों में खत्मा लगा दिया गया है। आज दिनांक में ईओडब्ल्यू द्वारा शेष 7 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही करना शेष है।

5. पिछले 5 वर्षो में एक मुश्त समझौता नीति के अंतर्गत एवं विधिक कार्यवाहियों के प्रभाव से अंतरनिगमीय जमा पेटे में राशि रू. 15.63 करोड की वसूली हो चुकी है जिसका कि विवरण निम्नानुसार है :-

(रू. करोड में)

वर्ष	**मूलधन**	**ब्याज**	**कुल राशि**
2016-17	0.34	0.63	0.97
2017-18	11.00	3.66	14.66
2018-19	0.00	0.00	0.00
2019-20	0.00	0.00	0.00
2020-21 (दिनांक 31.12.2020 तक)	0.00	0.00	0.00
कुल राशि रू.	**11.34**	**4.29**	**15.63**

** मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेबरीज लि. द्वारा मा. उच्च्तम न्यायालय में उच्च न्यायलय, नई दिल्ली द्वारा निगम के पक्ष में पारित आदेश के विरूद्ध दायर याचिका को निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप निगम द्वारा मा. उच्च न्यायालय में कंपनी समापन की कार्यवाही पुन- किये जाने हेतु आवेदन दिया गया। कंपनी द्वारा समय-समय पर मा. उच्च न्यायालय में राशि जमा कर देने के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा परिसमापक की कार्यवाही पर स्थगन दे दिया । वर्तमान में प्रकरण अतिम निर्णय हेतु माननीय उच्च न्यायलय, नई दिल्ली में लंबित है जिसकी आगामी सुनवाई तिथि दिनांक 21.05.2020 को नियत थी। माननीय न्यायालय की वेबसाइट पर आगामी सुनवाई की तारीख का उल्लेख नही है।

कंपनी द्वारा कुल लगभग राशि रू.21.00 करोड कंपनी द्वारा जमा किये गये जिसमें से माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में जमा लगभग राशि रू.13.40 करोड एवं एमपीएसआईडीसी के पास जमा लगभग राशि रू.7.60 करोड है।

मियादी ऋण राशि- **(राशि रू. करोड में)**

वर्ष	मूलधन	ब्याज	कुल राशि
2016-2017	0.00	0.81	0.81
2017-2018	0.00	1.42	1.42
2018-2019	0.00	0.07	0.07**
2019-2020	0.00	**1.84**	**1.84**
2020-2021 (दिनांक 31.12.2020 तक)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

* **इस राशि में** विक्रय/ कंपनी परिसमापक से प्राप्त राशि शामिल है।

** यह राशि मार्च 2019 में प्राप्त हुई है।

<u>अंश पूंजी राशि</u>

इसके अलावा वर्ष 2019-20 के लिए इकाईयों मे अंशपूंजी के विनियोजन के अंतर्गत लाभाशं के रूप में लगभग राशि रू. 7.65 लाख प्राप्त हुये हैं।

एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (MPIDC) भोपाल –

वर्ष 2020-21 के लिये मदवार बजट प्रावधान/व्यय का विवरण

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	बजट कोड	योजना का नाम	वार्षिक बजट आवंटित	31 दिसम्बर 2020 तक हुये व्यय की जानकारी (प्रावधिक)
1	2123	मैग्नीफिसेंट एमपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन योजना (67 ऋण तथा अग्रिम 008-अन्य राज सहायता) (बीओआरएल को ब्याज रहित ऋण)	25,000.00	9,000.00
		मैग्नीफिसेंट एमपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन योजना (44-राजसहायता 008-अन्य राज सहायता)	29,000.00	16,240.00
		मैग्नीफिसेंट एमपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन योजना(42-सहायक अनुदान 007-अन्य राज सहायता)	1,000.00	16.49
2	7879	औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास (#64-वृहद निमार्ण कार्य 002-उप वृहद निर्माण कार्य)	8,500.00	-
		औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास (#68-एन्यूटी 001-एन्यूटी(पूंजीगत))	13,000.00	7,950.00
3	6749	भू-अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन सर्विस चार्ज	3,249.98	1,169.99
4	0101-5396	औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के एवज में वृक्षारोपण हेतु सहायता	70.00	-
5	0102-5396	औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के एवज में वृक्षारोपण हेतु सहायता	22.00	-
6	0103-5396	औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के एवज में वृक्षारोपण हेतु सहायता	20.00	-
7	9842	औद्योगिक क्षेत्रों का लैंड पूलिंग योजना अंतर्गत विकास	9,500.00	5,000.00
8	5531	डेस्टिनेशन म.प्र. - इन्वेस्टमेंट ड्राईव	600.00	336.00
9	7504	एम.आई.एस. प्रणाली के लिए एकल खिडकी की स्थापना	500.00	148.56
		कुल योग	90,461.98	39,861.04

वर्ष 2020-21(01 अप्रैल 2020 से 31.12.2020 की स्थिति में) के लिये बजट प्रावधान का विवरण औद्योगिक क्षेत्रवार

एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. क्षेत्रीय कार्यालय – जबलपुर

(राशि रू.लाख में)

क्र	कार्य का नाम	वर्ष 2020-21 में प्राप्त राशि	वर्ष 2020-21 में व्यय राशि
1	राज्य योजना (डिपाजिट वर्क) मांग संख्या 4851	-	–
2	औद्योगिक क्षेत्र लहगडुआ, जिला छिंदवाड़ा अद्योसंरचना विकास कार्य	-	179.74
3	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा अद्योसंरचना में विस्तार कार्य	-	200.49
	कुल योग	-	**380.23**

टीप:- औद्योगिक क्षेत्र में अधिक व्यय की राशि पूर्व वर्ष में प्राप्त बजट एवं निगम अंशदान के रूप में की गई है।

एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. क्षेत्रीय कार्यालय - भोपाल

क्र.	कार्य का नाम	वर्ष 2020-21 में प्राप्त राशि	वर्ष 2020-21 में व्यय राशि
1	औद्योगिक क्षेत्रों के मरम्मत एवं रख-रखाव	-	151.13
2	औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेडी में सड़कों का उन्नयन	-	152.16
3	औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी का वार्षिक रख-रखाव	-	27.21
4	औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेडी में सड़कों का चौड़ीकरण	-	45.27
5	प्लास्टिक पार्क तामोट	-	2.26
6	औद्योगिक क्षेत्र जम्बार बागरी जल प्रदाय	-	17.15
7	औद्योगिक क्षेत्र मोहासा में अधोसंरचना विकास	-	676.70
8	औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा में टेक्सटाईल पार्क का निर्माण	-	1235.14
9	औद्योगिक क्षेत्र जमुनिया खेजड़ा में पहुंच मार्ग का निर्माण	-	177.20
10	औद्योगिक क्षेत्र माना बुधनी में आर.सी.सी नाली एवं पुलियों का निर्माण (उद्योग संचालनालय का निक्षेप कार्य)	-	18.50
	कुल योग		2502.72

टीप :- वर्ष 2020-21 में बजट स्वीकृत नहीं हुआ है ।

एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. क्षेत्रीय कार्यालय - इंदौर

(राशि रू.लाख में)

क्र.	कार्य का नाम	वर्ष 2020-21 में प्राप्त राशि	वर्ष 2020-21 में व्यय राशि
1	नवीन औद्योगिक क्षेत्र जैतापुर पलास्या जिला धार में भू अर्जन कार्य ।	19.99	1400.00
2	नवीन औद्योगिक क्षेत्र हातोद जिला धार में भू अर्जन कार्य।	1150.00	निरंक
3	औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार निवेश क्षेत्र हेतु भू अर्जन कार्य ।	5000.00	3556.00
कुल योग		**6169.99**	**4956.00**

टीप- औद्योगिक क्षेत्र में अधिक व्यय की राशि पूर्व वर्ष में प्राप्त बजट एवं शासन से प्राप्ति की प्रत्याशा में निगम द्वारा स्वयं की निधि से भुगतान किया गया है।

एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. क्षेत्रीय कार्यालय – रीवा

(राशि रू. लाख में)

क्र.	कार्य का नाम	वर्ष 2020-21 में प्राप्त राशि	वर्ष 2020-21 में व्यय राशि
1	औद्योगिक क्षेत्र गुढ	-	1210.00
2	उद्योग विहार चोरहटा रीवा	-	117.00
3	औद्योगिक क्षेत्र बाबूपुर		499.00
4	उद्योग द्वीप बैढन प्रथम चरण	-	320.00
5	उद्योग द्वीप बैढन तृतीय चरण	200.00	431.00
	कुल योग	**200.00**	**2577.00**

टीप:- वर्ष 2020- 21 में व्यय राशि पूर्व वर्ष की प्राप्त बजट ऋण एवं निगम अंश राशि से किया गया है।

एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. क्षेत्रीय कार्यालय- ग्वालियर

(राशि रू. लाख में)

क्रं	कार्य का नाम	वर्ष 2020-21 में प्राप्त राशि	वर्ष 2020-21 में व्यय राशि	रिमार्क
1	राज्य आयोजना जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्रो के क्षेत्रान्तर्गत विकास एवं संधारण सीपेट ग्वालियर	129.11	357.15	परियोजना हेतु राशि पूर्ववर्ती वर्षो में प्राप्त हो चुकी है ।
2	औद्योगिक क्षेत्र आईआईडी प्रतापपुरा	300.00	333.43	कार्य पूर्ण। .
3	औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर पहाडी द्वितीय चरण का विकास कार्यएमआईआई यूएस योजना अंतर्गत	-	3.39	परियोजना हेतु राशि पूर्ववर्ती वर्षो में प्राप्त हो चुकी है ।
4	राज्य स्तरीय इन्वेस्टमेंट कारीडोर औद्योगिक क्षेत्र पिपर सेवा जिला मुरेना	-	328.02	औद्योगिक क्षेत्र कुम्भराज को प्राप्त राशि पिपरसेवा को हस्तांतरित की गई है।
5	इन्क्यूवेषन सेन्टर लैदर फैक्ट्री मुरार ग्वालियर	181.00	476.74	परियोजना हेतु राशि पूर्ववर्ती वर्षो में प्राप्त हो चुकी है ।
6	औद्योगिक क्षेत्र प्लास्टिक पार्क बिलौआ जिला ग्वालियर	812.72	590.07	परियोजना हेतु राशि पूर्ववर्ती वर्षो में प्राप्त हो चुकी है ।
7	औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर घिरोंगी जिला भिण्ड का उन्नयनीकरण द्वितीय चरण	300.00	1407.34	परियोजना हेतु राशि पूर्ववर्ती वर्षो में प्राप्त हो चुकी है ।
कुल योग		1722.83	3496.14	

------ x ------

भाग – तीन

राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

➢ **कार्यालय रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश**

- राज्य योजनाऐं - निरंक
- केन्द्र प्रवर्तित योजनायें - निरंक
- विश्व बैंक के सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें - निरंक
- विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें/परियोजनायें - निरंक
- अन्य योजनायें - निरंक

➢ **संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश**

- राज्य योजनाएं - निरंक
- केन्द्र प्रवर्तित योजना - निरंक
- विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाए - निरंक
- विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं - निरंक
- अन्य योजनाएं - निरंक

➢ **एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (MPIDC) भोपाल**

एमपीआईडीसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्षेत्रीय कार्यालयवार विवरण

(01.04.2020 से 31.12.2020 की स्थिति में)

- **क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर**

(राशि रु. लाख में)

क्र	केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	वर्ष 2020-21	
			बजट आवंटन	व्यय
1	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र लहगडुआ जिला छिंदवाड़ा में अधोसंरचना विकास कार्य	-	179.74
2	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव जिला छिंदवाड़ा का विस्तार/विकास कार्य	-	200.49
		योग	-	380.23

टीप:- औद्योगिक क्षेत्र में अधिक व्यय की राशि पूर्व वर्ष में प्राप्त बजट एवं निगम अंशदान के रूप में की गई है।

- **क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल**

(राशि रु. लाख में)

क्रं.	केन्द / राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	वर्ष 2020-21	
			बजट आवंटन	व्यय
1	केन्द्र प्रवर्तित	प्लास्टिक पार्क, तामोट	-	2.26
2	राज्य प्रवर्तित	औद्योगिक क्षेत्र मोहासा में अधोसंरचना विकास	-	676.70
3	राज्य प्रवर्तित	औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा में टेक्सटाईल पार्क का निर्माण	-	1235.14
	कुल योग			**1913.54**

टीप :- वर्ष 2020-21 में बजट स्वीकृत नहीं हुआ है ।

- **क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर**

(राशि रु. लाख में)

क्रं.	केन्द / राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	वर्ष 2020-21		रिमार्क
			बजट आवंटन	व्यय	
1	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर जिला झाबुआ में उन्नयन कार्य	200.00	225.73	1. उन्नयन कार्य पूर्ण 2. CETP कार्य प्रगति पर है।
2	राज्य प्रवर्तित योजना	नवीन औद्योगिक क्षेत्र रंगवासा कन्फेक्शनरी क्लस्टर, नवीन बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र सह जेम्स एंड ज्वेलरी तथा आई.टी. पार्क इंदौर में अधोसंरचना विकास कार्य	300.00	665.74	कार्य प्रगति पर है।
3	राज्य प्रवर्तित योजना	नवीन औद्योगिक क्षेत्र जैतापुर पलास्या जिला धार के अधोसंरचना विकास कार्य	1000.00	2599.61	कार्य प्रगति पर है।
योग			**1500.00**	**3491.08**	

टीप- औद्योगिक क्षेत्र में अधिक व्यय की राशि निगम अंशदान के रूप में की गई है। अनुक्रमांक 2 एवं 3 में वर्णित परियोजना हेतु वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया गया है।

- **क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा** **(राशि रु. लाख में)**

क्र.	केन्द्र / राज्य प्रवर्तित योजनाये	योजना का नाम एवं स्थान	वर्ष 2020-21		रिर्माक
			बजट आवंटन	व्यय	
1	राज्य प्रवर्तित योजनाये	औद्योगिक क्षेत्र गुढ जिला रीवा	-	1210.00	वर्ष 2020-21 में व्यय राशि पूर्ववर्ष की प्राप्त बजट ऋण एवं निगम अंश राशि से किया गया है।
		औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार चोरहटा रीवा	-	117.00	
		औद्योगिक क्षेत्र बाबूपुर जिला सतना	-	499.00	
		उद्योग द्वीप बैढन प्रथम चरण जिला सिंगरौली	-	320.00	
		उद्योग द्वीप बैढन तृतीय चरण जिला सिंगरौली	200.00	431.00	
		कुल योग	200.00	2577.00	-

- **क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर** **(राशि रु. लाख में)**

क्रं.	केन्द्र/ राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	वर्ष 2020-21		रिमार्क
			बजट आवंटन	व्यय	
1	राज्य प्रविर्तित योजना	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्निॉलोजी ग्वालियर के वोकेषनल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य।	1200.00	357.15	कार्य प्रगति पर।
2	राज्य प्रविर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र पिपरसेवा जिला मुरैना में अधोसंरचना विकास कार्य।	150.00	328.02	कार्य पूर्ण।
3	केन्द्र/राज्य प्रविर्तित योजना	लैदर फैक्टरी मुरार जिला ग्वालियर में इन्क्यूवेषन सेंटर भवन निर्माण कार्य।	660.00	476.74	कार्य पूर्ण।
4	केन्द्र/राज्य प्रविर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर जिला मुरैना के द्वितीय चरण में अधोसंरचना विकास कार्य।	100.00	3.39	कार्य पूर्ण।

5	केन्द्र/राज्य प्रविर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र बिलौआ जिला ग्वालियर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना कार्य।	2066.85	590.07	कार्य प्रगति पर।
6	राज्य प्रविर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर - घिरों जिला भिण्ड का उन्नयनी करण -द्वितीय चरण	1900.00	1407.34	कार्य प्रगति पर।
7	राज्य प्रविर्तित योजना	आई.आई.डी. सेन्टर प्रतापपुरा में अधोसंरचना उन्नयनी करण का कार्य।	200.00	333.43	कार्य पूर्ण।
		कुल योग	**6276.85**	**3496.14**	

------ x ------

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

➢ **<u>कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश</u>**

- विशेष भर्ती अभियान के तहत बैकलाग पदों की पूर्ति की गई है।
- कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य शासन के द्वारा जारी निर्देशों के पालन में क्रमोन्नत वेतन/समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। विभाग में पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है, क्योंकि माननीय न्यायालय में प्रकरण के निराकरण होने तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
- कार्यालय के राजपत्रित अधिकारियों की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची का प्रकाशन वर्ष 2020 में शासन द्वारा किया गया है। दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में कार्यालय के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदक्रम सूची का प्रकाशन वर्ष 2020 में किया गया है।
- कार्यालय में दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	रजिस्ट्रार	01	01	-
2	डिप्टी रजिस्ट्रार	03	-	03
3	असिस्टेंट रजिस्ट्रार	07	06	01
4	अधीक्षक	01	01	-
5	निरीक्षक	17	06	11
6	ऑडीटर	23	10	13
7	स्टेनोग्राफर	01	01	-
8	सहायक ग्रेड-एक	02	01	01
9	सहायक ग्रेड-दो	09	08	01
10	सहायक ग्रेड-तीन	10	06	04
11	स्टेनोटाईपिस्ट	01	01	-
12	डाटा एन्ट्री आपरेटर	09	-	09
13	वाहन चालक	01	01	-
14	दफ्तरी	01	01	-
15	भृत्य	09	06	03
16	प्रोसेस सर्वेन्ट	06	04	02
17	फर्राश	01	-	01
योग		**102**	**53**	**49**

उपरोक्त 102 पदों में से शासन द्वारा कार्यालय के लिये वर्ष 2017-18 से 2 उप पंजीयक, 8 निरीक्षक, एवं 9 डाटा एन्ट्रीआपरेटर के नये पद स्वीकृत किये है।
तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के निरीक्षक, डाटाएन्ट्री ऑपरेटर्स एवं आडीटर के पदों की भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन वोर्ड द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं ।

- **पेंशन संबंधी जानकारी-**
  कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

- **विभागीय जांच /अपील से संबंधित जानकारी-**
  कार्यालय में दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में विभागीय जांच/अपील की स्थिति निम्नानुसार है:-

विभागीय जांच अपील प्रकरण	कुल प्रकरण	लंबित प्रकरण
प्रथम श्रेणी	निरंक	निरंक
द्वितीय श्रेणी	निरंक	निरंक
तृतीय श्रेणी	निरंक	निरंक
चतुर्थ श्रेणी	निरंक	निरंक

- **न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित जानकारी-**
  इस कार्यालय में किसी भी शासकीय सेवक का न्यायालीन प्रकरण लंबित न होने से न्यायालीन प्रकरणों के संबंध में जानकारी निरंक हैं।

- **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत जानकारी:-**
  सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

➢ **संचालक, वाष्पयंत्र, मध्यप्रदेश**

सेन्ट्रल बायलर्स बोर्ड :- सेन्ट्रल बायलर्स बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) उधोग भवन नई दिल्ली, बायलर अधिनियम 1923 एवं भारतीय बायलर विनियम 1950 के अनुरूप बॉयलर संचालनालय, म.प्र., भोपाल में कार्यरत है। सेन्ट्रल बॉयलर्स बोर्ड में संचालक वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश राज्य के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं।

प्रतिवेदित अवधि में सेन्ट्रल बायलर बोर्ड की काई भी बैठक सम्पन्न नहीं हुई ।

नियुक्तियॉं एवं पदोन्नतियॉं :- प्रतिवेदित अवधि में बॉयलर संचालनालय, में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। प्रतिवेदित अवधि में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति नहीं की गयी है ।

अभियोजनः- सेवा निवृत्त सहायक वर्ग - तीन स्व. श्री व्ही.के.जैन, विरूद्ध म.प्र.शासन एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है, जिसके प्रभारी अधिकारी श्री पुलकित तिवारी, निरीक्षक बायलर द्वितीय श्रेणी भोपाल है एवं श्री मनोज कल्याणे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में विचाराधीन है, जिसके प्रभारी अधिकारी श्री जी.पी. पटेल, संचालक बायलर भोपाल है।

अपील :- प्रतिवेदित अवधि में बायलर एक्ट 1923 की धारा 20 के प्रावधान में संचालक वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश के किसी भी आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को कोई अपील प्रेषित नहीं की गई।

बॉयलर चालन इंजीनियर्स परीक्षा :- प्रतिवेदित अवधि में बॉयलर आपरेशन इंजीनियर्स नियम 2011 के अंतर्गत परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

बॉयलर अटेण्डेंट परीक्षाः- प्रतिवेदित अवधि में बॉयलर अटेण्डेण्ट नियम, 2011 के अंतर्गत परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

वेल्डर परीक्षाः- इंडियन बॉयलर रेग्यूलेशन 1950 के परिच्छेद 13 में दिये गये विवरण के अनुसार प्रतिवेदित अवधि में वेल्डर परफारमेंस की योग्यता के प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये है। अन्य राज्यों से जारी 36 वेल्डर प्रमाण पत्रों को म.प्र. राज्य में वैधता हेतु पृष्ठांकित किया गया है ।

- **एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., (MPSIDC) भोपाल**

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल (एमपीएसआईडीसी) पूर्व में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत शासन का एक उपक्रम है जिसका मुख्य ध्येय प्रदेश में स्थापित होने वाले वृहद तथा मध्यम श्रेणी की इकाईयों को विभिन्न प्रकार की सहायता कर प्रदेश के औद्योगिकरण की गति को तेज करना था । जिससे मध्यप्रदेश की औद्योगिक परिदृश्य पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बन सके । निगम का गठन 13 सितम्बर 1965 को कंपनी एक्ट 1956 के प्रावधानो के अनुसार किया गया जिसमें शत प्रतिशत अंशपूंजी में राशि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वेष्ठित की गई है । निगम का मुख्यालय 'एव्हीएन टावर', प्लाट नंबर 192, जोन-1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है।

वर्तमान में निगम का कार्य मुख्यत: निगम द्वारा पूर्व में वितरित ऋणो की वसूली किया जाना है। निगम के संचालक निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियंशन के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते है ।

निगम में 01.01.2021 की स्थिति में कुल 31 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है । इनमें से 05 महिलाएं एवं 26 पुरूष सम्मिलित है ।

- **एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., (MPIDC) भोपाल –**

निगम सेटअप में 613 पद स्वीकृत है, जिसमें वर्तमान में 277 पद निगम सेवा एवं प्रतिनियुक्ति से भरे हुये है।

निगम में स्वीकृत पदस्थ एवं रिक्त पदो की जानकारी (31.12.2020 की स्थिति में)

संवर्ग का नाम	कुल स्वीकृत पद	पदस्थ	रिक्त पद
प्रबंध संचालक	01	01	00
कार्यकारी संचालक	09	04	05
मुख्य अभियंता	01	00	01
मुख्य महाप्रबंधक	17	10	07
अधीक्षण यंत्री	10	02	08
महाप्रबंधक	32	18	14
कार्यपालन यंत्री	25	04	21
कम्पनी सचिव	08	01	07

वरिष्ठ लेखाधिकारी	08	01	07
प्रबंधक	94	31	63
सहायक यंत्री	45	29	16
लेखाधिकारी	01	00	01
सहायक प्रबंधक	68	13	55
कनिष्ठ यंत्री	75	32	43
कार्यकारी सहायक /वरिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर(स्टेनोग्राफर)	16	21 *	00
सहायक वर्ग – 1 (कम्प्यूटर आपरेटर/लेखापाल/वरिष्ठ सहायक)	97	59	38
सहायक वर्ग – 2 (कम्प्यूटर आपरेटर/ कनिष्ठ सहायक)	98	51	47
केशियर	08	00	08
कुल	**613**	**277**	**341**

* अधिक्य 05

- सेटअप के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त निगम में 464 सेवक डाईंग केडर में भी कार्यरत है। (एकीकृत संरचना) समाप्त संवर्ग का विवरण (31.12.2020 की स्थिति में)

क्र०	संवर्ग का नाम/पद	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या
1	मानचित्रकार	0	4
2	सर्वेयर	0	1
3	सहायक मानचित्रकार	0	1
4	वाहन चालक	0	11
5	पम्प ऑपरेटर प्रथम श्रेणी + रोड रोलर चालक	0	34
6	समयपाल	0	33
7	इलेक्ट्रिशियन प्रथम श्रेणी	0	3
8	पम्प ऑपरेटर द्वितीय श्रेणी	0	7
9	मीटर वाचक	0	6
10	फिटर	0	4
11	फिल्टर ऑपरेटर/ बिल वितरक	0	2
12	प्लम्बर	0	6
13	इलेक्ट्रिशियन द्वितीय श्रेणी	0	5

14	दफ्तरी	0	8
15	पम्प अटेन्डेंट	0	1
16	कुली	0	2
17	भृत्य	0	49
18	चौकीदार	0	84
19	हेल्पर	0	190
20	पम्प परिचर	0	8
21	माली	0	3
22	स्वीपर	0	2
योग		**0**	**464**

- राज्य शासन के पदोन्नति नियम न्यायालय में लंबित होने के कारण अभी पदोन्नतियों पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो सका है।
- निगम के ''जीवित'' एवं ''समाप्त'' संवर्ग के सभी सेवकों की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति सूचक पदक्रम सूचियाँ जारी की जा चुकी है।
- निगम के समयमान वेतनमान के लम्बित प्रकरणों में ''समाप्त'' संवर्ग के लगभग 150 सेवकों एवं ''जीवित'' संवर्ग के लगभग 80 सेवकों के प्रकरणों में समयमान वेतनमान प्रदाय किया गया है एवं शेष को पात्रतानुसार समयमान वेतनमान देने की कार्यवाही प्रचलन में है।
- निगम में शासन की भाँति कोई भी पेंशन योजना प्रचलन में नहीं है।
- सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में कुल 25 आवेदन प्राप्त हुए गत वर्ष के 03 लम्बित प्रकरणों सहित कुल 28 प्रकरण में से 24 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 04 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। विचाराधीन अवधि में 01 अपील प्रकरण प्राप्त हुए जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- न्यायालयीन प्रकरण में 06 प्रकरण मुख्यालय स्तर पर (सेवा संबंधी) एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर 198 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

------ x ------

भाग – पाँच

अभिनव योजनाएँ

➢ **संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश**

- **आवेदन पत्र ऑन लाईन करने की सुविधा :-** बायलर संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं परिक्षाओं के आवेदन ऑन लाईन प्रेषित करने हेतु मेप आई टी भोपाल द्वारा एक वेबसाइट db.mp.gov.in निर्मित की गई है। ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध है।
- **बायलर्स एक्ट 1923 की धाराओं से छूट :-** प्रतिवेदित अवधि में राज्य शासन को धारा 34 (2) के अन्तर्गत राज्य में स्थित विभिन्न इकाईयों के 78 बॉयलरों को बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान की गई है।

➢ **एम.पी.इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (MPIDC) भोपाल**

- **लैण्ड पूलिंग योजना 2019 के तहत पीथमपुर सेक्टर 04 एवं 05 को विकसित करना** - औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि अर्जन के लिये राज्य शासन द्वारा लैण्ड पूलिंग योजना 2019 लागू की गई है।

  उक्त योजना के तहत इन्दौर-धार इन्वेस्टमेंट रीजन में पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र क्रं. 04 एवं 05 के विकास के लिये प्रथम चरण में 586.70 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर रू. 550.00 करोड़ की लागत से नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु शासन द्वारा दिनांक 22.09.2020 को स्वीकृति प्रदाय की गई है। इससे क्षेत्र में रू. 15000.00 करोड का निवेश आवेगा एवं 10000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।

- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस**

व्यवसाय को आसान करने के वातावरण को बनाने के लिए मध्य प्रदेश मे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधार हुए है, जिन्हें प्रमुख रूप से निम्न कारकों के द्वारा प्राप्त किया गया है –

  - सरकारी प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग
  - नीतियों का विश्लेषण
  - ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देना जो सुधारों के मानक बने
  - सेवा प्रदाय मे आने वाली बाधाओं की पहचान और उनका उन्मूलन

एक छत के नीचे सेवाओं की विस्तृत श्रंखला प्रस्तुत करके राज्य ने सिंगल विण्डो सिस्टम को मजबूती प्रदान की है। विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल कर दिया गया है और श्रम कानूनों में सुधार हुआ है। राज्य में विभिन्न सेवाओं में स्व-प्रमाणीकरण की सुविधा भी शुरू की गई है।ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दृष्टिकोण के तहत राज्य रैंकिंग के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि समान जनसांख्यिकी और औद्योगिक विकास में अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश श्रेष्ठतर प्रदर्शन कर रहा है।

- 30 दिवस में उद्योग प्रारंभ करने की प्रक्रिया अंतर्गत निवेश संबंधी विभिन्न आवश्यक सेवाओं की प्रदाय समयसीमा में कमी/युक्तियुक्त कर उन्हें 30 दिवस की सीमा में प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्हे मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम (PSG Act) की परिधि में भी लाए जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **कंप्यूटाईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था (CIS)** - भारत सरकार द्वारा व्यापार संचालन सरलीकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय व्यापार सुधार कार्यक्रम 2020 के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए है। इस कार्य योजना अंर्तगत औधोगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों हेतु आवश्यक निरीक्षणों के लिए एक कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था निर्मित किए जाने हेतु, कंप्यूटाईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था एमपीआईडीसी द्वारा विकसित एवं परिनियोजित की गयी है।

- **जीआईएस आधारित भूमि आवंटन पोर्टल -** एमपीआईडीसी द्वारा जीआईएस आधारित भूमि आवंटन पोर्टल का निर्माण किया गया है। जीआईएस पोर्टल के माध्यम से किसी भी समय एवं स्थान पर औद्योगिक भूखण्डो की उपलब्धता देखी जा सकती है। इसके माध्यम से पूर्ण रूप से ऑनलाईन भूमि बुकिंग प्रक्रिया एवं ऑनलाईन आवेदन करने की सुलभता प्रदान की जाती है। साथ ही आधार (UIDAI) आधारित ई-साइन सुविधा एवं उक्तानुसार वैध डिजीटल सिग्नेचर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस एवं चालान जैसे विभिन्न मोड के माध्यम से विभाग की ओर से भुगतान प्राप्त करने हेतु भुगतान गेटवे प्रणाली के साथ एकीकरण कर व रियल टाइम एप्लिकेशन स्टेटस ट्रेकिंग की सुविधा निवेशकों को प्रदान की जा रही है।

  उक्त ऑनलाइन भूमि बुकिंग प्रक्रिया मे कोई दस्तावेज आवश्यक नही होने के फलस्वरूप यह एक पूर्ण रूप से कागज रहित प्रणाली है। साथ ही समयबद्ध भूमि आवंटन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त प्रक्रिया में त्वरित रसीदो एवं सूचना का प्रदाय (एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से) सुनिश्चित किया जाता है।

- **सिंगल विंडो सिस्टम - INVEST Portal (इंटीग्रेटेड न्यू वेंचर इस्टेब्लिशमेंट)**

मध्य प्रदेश राज्य को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने की दृष्टि से, निवेशक के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एवं राज्य में निवेश के वातावरण में सुधार के लिए "INVEST Portal" नामक सिंगल विंडो सिस्टम के विकास के लिए क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया।

INVEST Portal किसी भी निवेश प्रस्ताव के पूरे निवेश जीवनचक्र के विभिन्न चरणों को आवृत्त करेगा जिसके अंतर्गत प्रारंभिक प्रस्ताव, नेतृत्व निर्मिति, आवेदन की स्थिति, स्थापना-पूर्व अनुमोदन, अनुदान रियायतो की स्वीकृति, संचालन- पूर्व अनुमोदन, अनुदान वितरण, विस्तार / विविधीकरण/ नवीनीकरण अनुमोदन आदि कार्यवाहियां समाहित हैं। यह पोर्टल स्वास्थ्य, पर्यटन आदि सेक्टर्स की परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन/ अनुज्ञा आदि उपलब्ध कराएगा। यह पोर्टल निवेशकों को सरकारी नीतियों, प्रोत्साहन योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी भी प्रदान करेगा।

------ x ------

भाग – छः

विभागीय प्रकाशन

- **कार्यालय रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश** - कोई प्रकाशन नहीं निकाला जाता है।

- **संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश** - कोई प्रकाशन नहीं निकाला जाता है।

- **एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल** - कोई प्रकाशन नहीं निकाला जाता है।

- **एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल** -

निगम द्वारा सामान्यतः किसी पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया जाता है यद्यपि निगम द्वारा अपने औद्योगिक क्षेत्र एवं परियोजनाओं से संबंधित ब्रोशर आदि का मुद्रण औद्योगिक प्रगति एवं प्रचार-प्रसार हेतु कराया गया है। इसके साथ-साथ निगम द्वारा विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र तथा किये जा रहे विकास कार्यो की जानकारी तथा भू आवंटन संबंधी जानकारी को भी दर्शाया जाता है।

------ x ------

भाग - सात

सारांश

- **कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश -**

कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एव संस्थाएं, मध्यप्रदेश विभागाध्यक्षीय कार्यालय हैं । जिसका मुख्यालय भोपाल में है एवं विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार हैं। इस कार्यालय के अधीन सात संभागीय कार्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा संभाग में हैं।

कार्यालय को भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 एव मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 के तहत कार्य सौंपा गया है।

ऐसी पंजीकृत संस्थाए जो नियमानुसार अधिनियम की धारा 27 एव 28 की जानकारी विहित शुल्क के साथ जमा नहीं कर रही है, को उल्लंघन के नोटिस भेजने के पश्चात् भी यदि उनके द्वारा जानकारी व शुल्क जमा नहीं किया जा रहा है, का पंजीयन निरस्तीकरण करने की कार्यवाही सम्बन्धित असि. रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है।

- **संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश -**

मध्य प्रदेश में बॉयलर एक्ट 1923 (5 ऑफ 1923) का प्रशासन प्रतिवेदित अवधि में श्री जी.पी. पटेल, संचालक वाष्पयंत्र द्वारा एक निरीक्षक वाष्पयंत्र द्वितीय श्रेणी की सहायता से सम्पादित किया गया।

- **तृतीय पक्ष (Third Party) निरीक्षण**

1. म.प्र.राज्य की अधिसूचना दिनांक 06.12.2001 द्वारा बायलर अधिनियम 1923 की विभिन्न धाराओं को अपवर्जित कर निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया था जिसे म.प्र.शासन की अधिसूचना दिनांक 27/05/2019 के द्वारा निरस्त किया जाकर बायलरों के निरीक्षण के अधिकार अधिसूचना में उल्लेखित बायलर इंजीनियर को प्रदत्त किये गये है।

2. म.प्र. राज्य में स्थित बायलरों का निरीक्षण सेन्ट्ल बायलर बोर्ड नई दिल्ली द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति द्वारा भी किये जा रहे है।

दुर्घटना: प्रतिवेदित अवधि में पंजीकृत बायलरों में कोई गम्भीर दुर्घटना नहीं हुई है ।

इलेक्ट्रोड् का निर्माण: बायलर के वेल्डिंग जोड़ में लगने वाले इलेक्ट्रोड्स के निर्माण की 9 ईकाइयॉ प्रदेश में कार्यरत है। इकाइयों द्वारा निर्मित इलेक्ट्रोड्स की गुणवत्ता की जॉच प्रत्येक एक वर्ष में विभाग द्वारा इंडियन बायलर्स रेग्यूलेशन 1950 के मानकों के अनुसार की जाकर उन्हें प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

विशेष उपलब्धियॉः-

1. प्रतिवेदित अवधि में उन सभी बायलर्स के निरीक्षण पूर्ण कर लिये गये है, जिनके निरीक्षण हेतु आवेदन -पत्र प्राप्त हुए थे ।

2. शासन के निर्देशानुसार केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली (सीआईएस) के अंतर्गत बायलरों का निरीक्षण प्रारंभ किया गया है ।
3. वर्ष 2020-21 में दिसंबंर 2020 तक रूपये 172.18 लाख की आय व रूपयें 81.45 लाख का व्यय हुआ अर्थात रूपये 90.73 लाख की शुद्ध बचत हुई।
4. प्रतिवेदित अवधि में 39 बायलर्स एवं 02 इकानामाइजरों का पंजीयन किया गया ।

फेब्रीकेशन कार्यः- मध्यप्रदेश राज्य में स्थित 21 इकाईयों द्वारा बायलर, उनके प्रेशर पार्ट निर्माण एवं बायलरों का रिपेयर कार्य किया जाता है।

- **मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल**

<u>निगम के लेनदारों की अद्यतन स्थिति:</u>

निगम द्वारा लेनदारों के साथ "एक मुश्त निपटान योजना (OTS)" हेतु रू. 323.48 करोड की समझौता योजना राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। जिसमें से रू. 237.74 करोड निगम को प्राप्त हो चुके हैं शासन से प्राप्त राशि एवं निगम द्वारा आईसीडी की वसूली की 90 प्रतिशत की राशि को मिलाकर एस्क्रो खाते में लगभग रू. 33.54 करोड दिनांक 31.12.2020 पर जमा है।

निगम द्वारा लेनदारों के साथ एक मुश्त निपटान योजना के लिये कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391-394 के तहत सुरक्षित लेनदारों एवं कुछ बांड धारकों को छोडकर भुगतान किया जा चुका है ।

- **एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. भोपाल**

- **ईज़ आफ डूइंग बिजनेस -**
  - ✓ प्रकरणों का निराकरण सिंगल विण्डों प्रणाली अंतर्गत।
  - ✓ पर्यावरण मंजूरी की सुविधा- संचालित करने हेतु सहमति (सीटीओ) एवं स्थापित करने हेतु सहमति (सीटीई)।
  - ✓ विनियामक मंजूरी संबंधी सुविधा - श्रम, भवन की अनुमति एवं भूमि का डायवर्सन।
  - ✓ न्यूनतम मानव बातचीत के साथ नियामक मंजूरी का स्वचालन।
- **औद्योगिक अधोसंरचना -**
  - ✓ नवीन औद्योगिक क्षेत्र एवं निवेश कॉरीडोर का विकास।
  - ✓ प्रथम आओ प्रथम पाओ सिद्धांत पर सरल एवं पारदर्शी प्रणाली से आनलाईन भूमि आवंटन।
  - ✓ औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की अधोसंरचना का उचित मूल्य पर आवंटन
  - ✓ नवीन उद्योगों को लेंड बैंक से आसानी से भूमि आवंटन उपलब्ध (बिना किसी प्रतीक्षा सूची के)।

एम.पी.आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रांतर्गत विकसित, विकासाधीन एवं अविकसित भूमियों की जानकारी

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	विकसित भूमि		विकासाधीन भूमि		अविकसित भूमि (हेक्टेयर में)
	औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	औद्योगिक क्षेत्रो की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
भोपाल	12	2823.617	01	44.00	3327.399
ग्वालियर	12	2055.989	01	37.631	1957.699
इंदौर	28	5,178.188	7	607.795	2,723.458
जबलपुर	15	1593.034	-	-	3544.337
रीवा	04	257.29	03	209.964	1141.406
योग	**71**	**11908.118**	**12**	**899.39**	**12694.299**

एम.पी.आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालयों के औद्योगिक क्षेत्रों की विकसित भूमियों की जानकारी

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	आवंटन योग्य भूमि		आवंटित भूमि		रिक्त भूमि	
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूखण्ड संख्या
भोपाल	12	2823.61	1976.65	3769	1292.62	2219	684.02	1550
ग्वालियर	12	2055.98	1455	2380	1119.34	1428	335.66	952
इंदौर	28	5,178.19	4,613.54	5136	2,773.94	3928	1,839.60	1208
जबलपुर	15	1593.03	783.9	1932	493.81	1223	290.09	709
रीवा	04	257.28	257.28	1006	223.21	416	34.05	590
योग	71	11908.09	9086.37	14223	5902.92	9214	3183.42	5009

टीपः उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त भूमि बैंक की जानकारी जिसमें विकसित, विकासाधीन एवं अविकसित भूमि की जानकारी क्षेत्रफल, अद्यतन स्थिति विभाग की वेबसाईट **www.invest.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।

------ x ------

भाग - आठ

महिलाओं के लिये किये गये कार्य

- **कार्यालय रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश -**
  - कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रशासन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य शासन की अन्य कोई योजना आदि का संचालन नहीं किया जाता है।
  - मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन महिला मण्डलों का पंजीयन किया जाता है। महिला उत्पीड़न के संबंध में कार्यालयीन कमेटी का गठन किया गया है एवं वर्तमान में महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

- **संचालक, वाष्पयंत्र, मध्यप्रदेश**
  - कार्यालय संचालक, वाष्पयंत्र में महिला उत्पीड़न के संबंध में कार्यालयीन कमेटी का गठन किया गया है।

- **एम.पी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल -**
  - एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. द्वारा उच्चतम न्यायालय से जारी मार्गदर्शी सिध्दांत के परिपालन में कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिये समिति का गठन किया गया है। सूचना पटल पर भी जानकारी प्रदर्शित की गई है।
  - एम.पी.इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शासन के निर्देशो के पालन में क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ निर्मित किया गया है, जिसमें निगम के महाप्रबंधक स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है। प्रकोष्ठ में उद्योग स्थापना संबंधी जानकारी, उद्योग स्थापना संबंधी प्रक्रिया, छूट एवं सुविधाएं आदि जानकारी संग्रहित की गई है। महिला उद्यमी निगम कार्यालय में उद्योग स्थापनार्थ सम्पर्क करती है, उन्हे सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

------ x ------

नोट्स

माननीय उद्योग मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगाँव निवेशकों से चर्चा करते हुए

औद्योगीकरण से बढ़ते रोज़गार के अवसर

एमपीआईडीसी के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयाँ

डीएमआईसी – विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन